

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/एफ-5/867/2019/10-11/1631

भोपाल, दिनांक 10-5-22

प्रेषक :-

सुनील अग्रवाल (भा.व.से.)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं
नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति,

वन महानिरीक्षक,
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड,
नई दिल्ली-110003

विषय:- Diversion of 80.737 ha of forest land (8.33 ha. Forest land & 72.407 Revenue Forest land) for establishment of Special Economic Zone (SEZ) in Chhindwara Dist. of MP State in favour of M/s Chhindwara Plus Developers Ltd (Online No. FP/MP/Others/27128/2017) - reg.

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक/ 8-16/2019-FC दिनांक 29.03.2022

---0---

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करे। प्रकरण में औपचारिक स्वीकृति जारी करने के पूर्व 07 बिन्दुओं पर अतिरिक्त जानकारी चाही गई है, चाही गई जानकारी निम्नानुसार है :-

- The details of remaining 78.332 ha non-forest land for Compensatory Afforestation as mentioned by DFO, Chhindwara in view of condition no. (ii) & (iii - a) has not been submitted.

इस प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक सहमति की शर्त क्रमांक (ii) में यह लेख था कि Norms and guideliiances followed in similar proposals shall be applicable in the instant case.

यह प्रस्ताव ESZ का है। परिवेश पोर्टल पर इस श्रेणी के प्रस्तावों का परीक्षण करने पर 03 प्रस्ताव इस श्रेणी के पाये गये।

प्रथम प्रस्ताव में भारत सरकार के बँगलौर क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा पत्र दिनांक 30.11.2010 से 17.857 हेक्टेयर वनभूमि की स्वीकृति जारी की थी। इस कार्य में गैर वनभूमि प्रत्यावर्तित वनभूमि के समतुल्य ली गई है। प्रतिलिपि संलग्न है।

दूसरे प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा पत्र दिनांक 27.02.2009 से Mundra में SEZ हेतु कुल 2008.41 हेक्टेयर वनभूमि की स्वीकृति जारी की थी। इस कार्य में गैर वनभूमि प्रत्यावर्तित वनभूमि के समतुल्य ली गई है। प्रतिलिपि संलग्न है।

तीसरे प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा पत्र दिनांक 24.05.2009 से Adani group को SEZ हेतु कुल 1576.81 हेक्टेयर वनभूमि की सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की थी। इस कार्य में गैर वनभूमि प्रत्यावर्तित वनभूमि के समतुल्य ली गई है। प्रतिलिपि संलग्न है।

इस प्रकार इस प्रस्ताव में जो श्रेणी आती है, उस श्रेणी के अन्य प्रस्तावों में क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिये समतुल्य गैर वनभूमि प्राप्त की गई है। भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी गाईड लाईन में भी दुगनी गैर वनभूमि लिये जाने के प्रावधान नहीं है।

अतः प्रकरण में आवेदक संस्था द्वारा उपलब्ध कराई गई गैर वनभूमि मान्य किये जाने का अनुरोध है।

- ii. The entire Non-forest land(including the remaining 78.332 ha additional area yet to be provided) is required to be transferred,mutated in the name of the forest department and notified as RF/PF prior to Stage-II approval. The copy of the said notification has not been submitted.

बिन्दु क्रमांक-1 में दिये विवरण के अनुसार आवेदक संस्था से समतुल्य गैर वनभूमि लिया जाना उचित है। आवेदक संस्था द्वारा उपलब्ध कराई गई गैर वनभूमि को वन के रूप में अधिसूचित करने की कार्यवाही प्रचलित है। शीघ्र ही अधिसूचना की प्रति उपलब्ध करा दी जायेगी।

- iii. The detail of funds deposited for raising of Compensatory Afforestation on remaining 78.332 ha non-forest land as reported by DFO, Chhindwara in view of condition no. (iv) shall be submitted.

बिन्दु क्रमांक-1 में दिये विवरण के अनुसार आवेदक संस्था से समतुल्य गैर वनभूमि लिया जाना उचित है।

- iv. The copy of certificate, that the site proposed for CA is suitable and free from all encroachments and other encumbrances in view of condition no. (vii) shall be submitted.

क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिये आवेदक संस्था द्वारा उपलब्ध कराई गई गैर वनभूमि का निरीक्षण मेरे द्वारा दिनांक 26.03.2022 को किया गया है। उपलब्ध कराई गई गैर वनभूमि वन भूमि से लगी है। क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु उपलब्ध कराई गई गैर वनभूमि अतिक्रमण मुक्त है तथा वृक्षारोपण योग्य है। इस संबंध में प्रमाण पत्र संलग्न है।

- v. The village Kanhan (General) has not been included in the FRA Certificate. The same shall be included.

आवेदक संस्था द्वारा इस संबंध में अभिलेख उपलब्ध कराये गये हैं, जो संलग्न है।

- vi. The copy of records of all consultations and meetings of the Forest rights Committee i.e. Gram Sabha, Sub-Division level Committee and the District Level Committee shall be submitted.


आवेदक संस्था द्वारा इस संबंध में अभिलेख उपलब्ध कराये गये हैं, जो संलग्न है।

- vii. The user agency shall furnish an undertaking in view of condition no. (x), (xvi) and (xvii).

आवेदक संस्था द्वारा इन शर्तों के पालन में वचन पत्र प्रस्तुत किये हैं, जो संलग्न है।

अतः आपके द्वारा चाही गई जानकारी पूर्ति हो गई है। कृपया प्रकरण में औपचारिक स्वीकृति जारी करने का कष्ट करें।

भवदीय



(सुनील अग्रवाल)

पृ. क्रमांक/एफ-5/867/2019/10-11/1632
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 10/5/22


1. मुख्य वन संरक्षक, छिन्दवाड़ा वृत्त, छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश।
2. वन मण्डलाधिकारी सामान्य वन मण्डल दक्षिण छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश।
3. संचालक मेसर्स छिन्दवाड़ा प्लस डेव्हलपर्स लिमिटेड, 09 इमामबाड़ा रोड़, नागपुर।

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।


10/5/2022
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

प्रमाण पत्र

छिन्दवाड़ा जिले में विशेष आर्थिक क्षेत्र (Special Economic Zone) की स्थापना /निर्माण हेतु प्रभावित वनभूमि 80.737 हेक्टेयर में प्राप्त क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिये आवेदक संस्था द्वारा उपलब्ध कराई गई गैर वनभूमि का निरीक्षण मेरे द्वारा दिनांक 26.03.2022 को किया गया है। उपलब्ध कराई गई गैर वनभूमि वन भूमि से लगी है। क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु उपलब्ध कराई गई गैर वनभूमि अतिक्रमण मुक्त है तथा वृक्षारोपण योग्य है।


(सुनील अग्रवाल)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल



SPECIAL ECONOMIC ZONE
CHHINDWARAPLUS
CONSORTIUMS THE WAY AHEAD

Chhindwara Plus Developers Limited

CIN No.:U45201MH2006PLC165768

Site At :- Tehsil:Sausar, District:Chhindwara (M.P.)

Corporate Office:- 9, Late Shree. Puranlalji Agrawal Road,
(Formerly Imambada Road), Nagpur - 440 018.
Maharashtra (INDIA)

T + 91 712 2724292/93

F + 91 712 2720716

email:mail@chhindwaraplus.com

website:www.chhindwaraplus.com

Ref: CPDL\2022-23\102-02

Date: 02/05/2022

To,
Shri. Sunil Agrawal
PCCF (Land Management)
Bhopal, Madhya Pradesh

Ref: your letter F-5/867/2019/10-11/1221 dated 5/04/2022.

Subject: Diversion of 80.737 ha of forest land (8.33 ha. Forest land & 72.407 Revenue Forest land) for establishment of Special Economic Zone (SEZ) in Chhindwara Dist. Of MP State in favour of M/s Chhindwara Plus Developers Ltd.-regarding.

Hon'ble Sir,

Sir, this is not a reply or questioning of the wisdom of your office. This is an expansion of our predicament and sorrow.

An analogy, which we hope will convey our helplessness and being pushed to the verge. The story of the Frog and ox who met in the market. They entered a verbal spat. The Frog egged on by the crowd accepted the challenge of the ox to jump higher than him. The Frog jumped and jumped but in vain ! After some time the Frog lay motionless. A sorry state after an unequal competition and comparison.

Adani SEZ, occupies an area of 10,000 hectares. 40% of the land i.e. 4000 hectares of the total land is forest land. In the first installment 2400 hectares of forest land was transferred to Adani SEZ by the state Government, without FCA assessment. The case under reference is for a fresh proposal of 1576 hectares which has been said to be a similar project. The total cost accrued for transfer of land by Adani is much below the Government Guideline rates. The feasibility of the project remains strong and retains the ability to contribute to the economic development of the area under consideration. The Adani SEZ is a port, which converts the land use which attracts the highest premium.

19/9/22
R
4/5/2022



SPECIAL ECONOMIC ZONE
CHHINDWARAPLUS
CONSORTIUMS THE WAY AHEAD

Chhindwara Plus Developers Limited

CIN No.:U45201MH2006PLC165768

Site At :- Tehsil:Sausar, District:Chhindwara (M.P.)

Corporate Office:- 9, Late Shree. Puranlalji Agrawal Road,
(Formerly Imambada Road), Nagpur - 440 018.

Maharashtra (INDIA)

T + 91 712 2724292/93

F + 91 712 2720716

email:mail@chhindwaraplus.com

website:www.chhindwaraplus.com

Chhindwara Plus SEZ occupies an area of 1208 hectares. Forest land applied for under FCA is 80.737 hectares. It is 6.6% of the total area of the project. The Total number of trees in the area are 2409 nos. of the total area of 80.737 hectares proposed 37.192 hectares is hilly area, which cannot to be put to any other use. The chart showing khasras, area, village and trees in the area. The number of trees in the balance area are only 600 numbers which are Satkata trees. This is about 13.78 trees per hectare.

Sr. No.	Village	Khasra No.	Area in hectares	Teak wood	Satkata wood	Total
1	Kodadongri B-1	8	1.943	0	21	21
2	Kodadongri B-1	18	11.096	65	47	112
3	Satnoor	334	8.094	15	63	78
4	Savanga	486	0.607	0	6	6
5	Savanga	487	0.227	0	2	2
6	Gowariwadhona	391	6.895	68	17	85
		Total	28.862	148	156	304
7	Kahnan Range	P.F. 1593	8.330	1405	163	1568
		Grand Total	37.192	1553	319	1872

The location is in a land locked area, which was categorized as agricultural land with negative yield. In a study conducted for production of corn/maize in India (1990). The premium on land is meager. The Government rates for Industrial land developed by MPIDC LTD. and AKVN is the lowest in the region as compared to other region in state of Madhya Pradesh.



SPECIAL ECONOMIC ZONE
CHHINDWARAPLUS
CONSORTIUMS THE WAY AHEAD

Chhindwara Plus Developers Limited

CIN No.:U45201MH2006PLC165768

Site At :-Tehsil:Sausar, District:Chhindwara (M.P.)

Corporate Office:- 9, Late Shree. Puralalji Agrawal Road,
(Formerly Imambada Road), Nagpur - 440 018.

Maharashtra (INDIA)

T + 91 712 2724292/93

F + 91 712 2720716

email:mail@chhindwaraplus.com

website:www.chhindwaraplus.com

It would be of value to mention and it will definitely add a lot of credence to our request. The payment mode as proposed will make the cost of land 50% higher than the Government guideline rate in the villages under consideration.

In addition 37.197 hectares will remain in existing use. The acquisition is important as SEZ area is a restricted area.

During the discussion in the FCA meeting held on 26/09/2019 The Hon'ble Committee had recommended afforestation of land equal to twice the area of land applied for under FCA, as the amendment to the guidelines was on the anvil. This has not happened. The draft proposals forwarded does not have of any change or amendment to the guideline on afforestation.

We enclosed an extract of sec.7 of FCA rules 2003, which are in force, para. 2 d clearly says that equal land is the requirement. We enclose sec.7 of the rules as an appendix to this letter.

We request you to please reconsider, and help the project to deliver the proposed benefits to the region. We pray and request you to adopt a pragmatic disposition.

The enclosures as prepared are being attached to this letter.

The death of the Frog. The blame will

Yours sincerely,

For Chhindwara Plus Developers Ltd.

Sanjay Agrawal
Director

mail@chhindwaraplus.com

Encl: Sec.7 of FCA rules 2003



Committee to advise on proposals received by the Central Government:--

- (1) The Central Government shall refer every proposal, complete in all respects received by it under 1[sub- rule (6) of rule 6] including site inspection report, wherever required, to the committee for its advice thereon. (2)(IA). These proposals shall be processed and put up before the committee and the recommendations of the committee shall be placed within a period of ninety days of the receipt of such proposals from the State Government or the Union Territory Administration, as the case may be, before the Central Government for its decision.]
- (2) The committee shall have due regard to all or any of the following matters while tendering its advice on the proposals referred to it under sub-rule (1) namely:-
 - (a) Whether the forests land proposed to be used for non forest purpose forms part of nature reserve, national park, wild life sanctuary, biosphere reserve or forms part of the habitat or any endangered or threatened species of flora and fauna or of an are lying in severely eroded catchment;
 - (b) Whether the use of any forest land is for agricultural purposes or for the rehabilitation of persons displaced from their residences by reason of any river valley or hydro-electric project;
 - (c) Whether the state Government 3(or the Union territory Administration as the case may be.) has certified that it has considered all other alternatives and that no other alternatives in the circumstances are feasible and that the required area is minimum needed for the purpose: and
 - (d) Whether the State Government 3(or the Union territory Administration, as the case may be,) undertakes to provide at its cost for the acquisition of land of an equivalent area and afforestation thereof.
- (3) While tendering the advice, the committee may also suggest any condition or restrictions on the use of any forest land for any non- forest purpose, which in its opinion, would minimize adverse environmental impact.





SPECIAL ECONOMIC ZONE
CHHINDWARAPLUS
CONSORTIUMS THE WAY AHEAD

Chhindwara Plus Developers Limited

CIN No.:U45201MH2006PLC165768

Site At :-Tehsil:Sausar, District:Chhindwara (M.P.)

**Corporate Office:- 9, Late Shree. Puralalji Agrawal Road,
(Formerly Imambada Road), Nagpur - 440 018,
Maharashtra (INDIA)**

T + 91 712 2724292/93

F + 91 712 2720716

email:mail@chhindwaroplus.com

website:www.chhindwaroplus.com

Annexure - 'A'

Undertaking

I, the undersigned Mr. Sanjay Agrawal Director of M/s Chhindwara Plus Developers Ltd, Nagpur hereby undertakes the following:

I undertake that, The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.

Place: Nagpur

Date: 02.05.2022



CHHINDWARA PLUS DEVELOPERS LTD

 Director

[SANJAY AGRAWAL]
DIRECTOR



SPECIAL ECONOMIC ZONE
CHHINDWARAPLUS
CONSORTIUMS THE WAY AHEAD

Chhindwara Plus Developers Limited

CIN No.:U45201MH2006PLC165768

Site At :-Tehsil:Sausar, District:Chhindwara (M.P.)

Corporate Office:- 9, Late Shree. Puranlalji Agrawal Road,
(Formerly Imambada Road), Nagpur - 440 018.

Maharashtra (INDIA)

T + 91 712 2724292/93

F + 91 712 2720716

email:mail@chhindwaraplus.com

website:www.chhindwaraplus.com

Annexure - 'B'

Undertaking

I, the undersigned Mr. Sanjay Agrawal Director of M/s Chhindwara Plus Developers Ltd, Nagpur hereby undertakes the following:

I undertake that, The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.

Place: Nagpur

Date: 02 .05.2022



CHHINDWARA PLUS DEVELOPERS LTD

Director

[SANJAY AGRAWAL]
DIRECTOR



SPECIAL ECONOMIC ZONE
CHHINDWARAPLUS
CONSORTIUMS THE WAY AHEAD

Chhindwara Plus Developers Limited

CIN No.:U45201MH2006PLC165768

Site At :-Tehsil:Sausar, District:Chhindwara (M.P.)

Corporate Office:- 9, Late Shree. Puralalji Agrawal Road,
(Formerly Imambada Road), Nagpur - 440 018.
Maharashtra (INDIA)

T + 91 712 2724292/93

F + 91 712 2720716

email:mail@chhindwaraplus.com

website:www.chhindwaraplus.com

Annexure - 'C'

Undertaking

I, the undersigned Mr. Sanjay Agrawal Director of M/s Chhindwara Plus Developers Ltd, Nagpur hereby undertakes the following:

I undertake that, The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.

Place: Nagpur

Date: 02 .05.2022



CHHINDWARA PLUS DEVELOPERS LTD

Sanjay Agrawal
Director

[SANJAY AGRAWAL]
DIRECTOR



न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सौंसर जिला-छिन्दवाड़ा (म0प्र0)

क्रमांक/1319/प्र0-2/अ.वि.अ./2014
प्रति,

सौंसर, दिनांक 14/11/2014

सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास, छिन्दवाड़ा ।
छिन्दवाड़ा ।

विषय :- राजस्व विभाग के अधीन वन भूमि में वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत अधिकारों के विनिश्चयन के अनापत्ति प्रमाणपत्र बावद ।

सन्दर्भ :- आपका कार्यालयीन पत्र क्रमांक/4986/वनाधिकार/आवि/2014 दि० 26/9/2014 एवं पत्र क्रमांक 5420 दिनांक 29/10/2014

—00—


उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के तारतम्य में तहसील सौंसर के ग्राम सातनूर, खापाकरीमवार, दुधालाखुर्द, सावंगा, कोदाडोंगरी बी-2, कोदाडोंगरीदवामी, कोदाडोंगरी माल गुजारी, गोंडीवाडोना, गोवारीवाडोना में मे० छिन्दवाड़ा प्लस डेव्हलपर्स लिमिटेड नागपुर द्वारा स्पेशल इकोनॉमिक झोन के निर्माण हेतु राजस्व विभाग के अधीन वन भूमि कुल क्षेत्रफल 72,663 है० भूमि पर वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत अधिकारों के विनिश्चयन की कार्यवाही पूर्ण होने के संबंध में प्रमाणपत्र चाहा गया है । उक्त संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सौंसर से अभिमत लिया गया । उनके द्वारा उक्त दर्शित खसरा नम्बरों पर संबंधित ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा आयोजित कर उपस्थित आम जनता को अवगत कराया जाकर तथा उसका विधिवत परीक्षण कर इकोनॉमिक झोन के निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाणपत्र तथा ग्राम सभा का प्रस्ताव पारित कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है । उनके द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है ।

अतः प्रस्तावित ग्रामों की वन भूमि कुल क्षेत्रफल 72,663 है० भूमि पर वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत अधिकारों के विनिश्चयन की कार्यवाही में किसी प्रकार


14.11.14

का दावा/आपत्ति प्राप्त होना नहीं पाया गया । अतः प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सादर प्रेषित है ।

संलग्न-उपरोक्तानुसार ।


अनुविभागीय अधिकारी,
(राजस्व), साँसर

कार्यालय जनपद पंचायत साँसर जिला छिन्दवाडा (म.प्र.)

E-mail:- sausarjp@gmail.com , fax no. 07165. 221328 , 220282

क्रमांक/1010 /स्था.पं./जं.प/2014
प्रति,

साँसर,दिनांक 01.11.2014

अनुविभागिय अधिकारी,
(राजस्व) साँसर

विषय:- राजस्व विभाग के अधीन वन भूमि में वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत अधिकारों के विनिश्चयन के अनापत्ति प्रमाण पत्र बाबद् ।
संदर्भ:- आपके कार्यालयीन पत्र क्रमांक/1172/प्रस्तु.-2/अ.वि.अ./2014 साँसर दिनांक 27.09.2014 ।

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के परिपालन में लेख हैं, कि मेसर्स छिन्दवाडा प्लस डेव्हलपर्स लिमिटेड, नागपुर द्वारा त. साँसर के 9 ग्राम क्रमशः सातनुर, खापा करीमवार, दुधालाखुर्द, सावंगा, कोदाडोगरी बी.-1, कोदाडोगरी बी.-2, कोदाडोगरी दवामी, कोदाडोगरी माल गुजारी, गोंडीवाडोना, गोवारीवाडोना मे स्पेशल इकोनॉमिक झोन (एस.ई.जेड.) के निर्माण हेतु राजस्व विभाग के अधीन वन भूमि कुल क्षेत्रफल 72.663 हेक्टर भूमि पर वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत अधिकारों के विनिश्चयन की कार्यवाही पूर्ण होने के संबंध में प्रमाण पत्र चाहा गया था पत्र के साथ सलग्न दर्शित खसरा नम्बरों पर वन अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त दावों एवं संबंधित भूमि पर आदिवासियों, गैर आदिवासियों के कब्जे व आवासी कार्य हेतु अन्य कब्जे की जानकारी तथा शारान द्वारा समय-समय पर जारी विभिन्न दिशा निर्देशों अधिनियमों के तहत उक्त ग्रामों की ली जाने वाली राजस्व/ वन भूमियों मे किसी प्रकार की कोई वैधानिक कठिनाई या हस्तक्षेप/आपत्ति तो नहीं हैं।

इस संबंध मे संबंधित ग्रामों के सचिव ग्राम पंचायत को उक्त दर्शित खसरा नम्बरों पर अतिक्रमन/दावा प्रस्तुत हैं इस संबंध मे उक्त ग्रामों द्वारा ग्राम सभा आयोजित कर उपस्थित आम जनता को अवगत कराया जाकर तथा उसका विधिवत परीक्षण कर इकोनॉमिक झोन के निर्माण हेतु आनापत्ति प्रमाण पत्र तथा ग्राम सभा का प्रस्ताव पारित कर प्रतिवेदन सचिव ग्राम पंचायत से तैयार कर प्रस्तुत किया गया हैं।

अतः (एस.ई.जेड.) के निर्माण हेतु ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र इस पत्र के साथ सलग्न कर मेरी अनुशंसा सहित प्रतिवेदन आपकी ओर आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत ।

सलग्न:- उपरोक्तनुसार ग्राम पंचायत का ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जनपद पंचायत साँसर


- ग्राम सभा का सहमति पत्र -


प्रमाणित किया जाता है कि-

1. मेसर्स छिन्दवाडा प्लस डेव्हलपर्स लि. नागपुर की (परियोजना का नाम) "विशेष आर्थिक क्षेत्र" (S.E.Z.) में विकास कार्य किया जाना प्रस्तावित है, मेरे पंचायत क्षेत्र के ग्राम सावंगा आरक्षित/संरक्षित वन क्षेत्र के वन खण्ड खापाकरीमवार AB एवं दुधालाखुर्द के कक्ष क्रमंक P 1592, P 1593 में /राजस्व वन क्षेत्र के ग्राम -सावंगा ख.नं. क्रमशः 426, 467, 486, 487, रकबा क्रमशः - 0.231, 0.303, 0.607, 0.227 कुल रकबा 1.368 हेक्टर है। उक्त वन भूमि के व्यपवर्तन का प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत ग्राम सभा के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुआ है।
2. वन भूमि व्यपवर्तन का प्रस्ताव अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत पात्र वन निवासियों की ग्राम सभा के समक्ष रखा गया है। प्रस्ताव का परीक्षण एवं उस पर चर्चा ग्राम सभा की बैठक दिनांक 02/10/2014 को की गई, जिसमें ग्राम सभा की कोरम की पूर्ति की गई है।
3. ग्राम सभा यह प्रमाणित करती है कि, व्यपवर्तन के लिए आवेदित वन भूमि के सम्पूर्ण क्षेत्र पर अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत समस्त औपचारिकताओं/प्रक्रियाओं का पालन पूर्ण कर लिया गया है। तथा ग्राम सभा ने व्यपवर्तन के प्रस्ताव के विवरण को समझ लिया है।
4. वन भूमि व्यपवर्तन के फलस्वरूप संपादित किये जाने वाले कार्य से पंचायत क्षेत्र के विकास की संभावना है। अतः ग्राम सभा एतद् द्वारा उक्त कार्य पर अपना अभिमत/सहमति व्यक्त करती है।

संलग्न :- ग्रामसभा की बैठक की कार्यवाही विवरण की छायाप्रति ।

दिनांक :-


सचिव
ग्राम पंचायत सावंगा
हस्ताक्षर सौसर एवं नदी संरक्षित
ज. प. सौसर




सरपंच
ग्राम पंचायत सावंगा
ज. प. सौसर जि. छिन्दवाडा

टीप :- प्रस्ताव पर यदि ग्राम सभा सहमत हो तभी यह प्रमाण-पत्र जारी किया जाये। यदि ग्राम सभा सहमत नहीं है तो प्रमाण-पत्र न जारी किया जाये।

कार्यवाही (प्रोसीडींग) रजिस्टर की सत्य प्रतिलिपी

कार्यालय ग्राम पंचायत सावंगा जनपद पंचायत सौसर, जिला छिंदवाडा (म. प्र.)

शामलभादिनांक 02/10/2014

उपस्थित पंचों के नाम	विषय (प्रस्ताव)	की गई कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण	लिया गया निर्णय	पंचों के हस्ताक्षर
2	3	4	5	6
कुल उपस्थित	पुल्लारु. (पि. डी) मेसर्स छिंदवाडा एलएल डेवलपर्स लिमीटेड द्वारा स्थापित इकोनॉमिक जोन (एल. ई. जे. डी) के निर्माण के संबंध में।	निर्माण लक्ष्मी के समक्ष मेसर्स छिंदवाडा एलएल डेवलपर्स लिमीटेड द्वारा स्थापित इकोनॉमिक जोन (एल. ई. जे. डी) के निर्माण हेतु राजस्व विभाग के अधीन वन भूमि का विवरण ग्राम सावंगा अं. नं. कुमरा: 426, 467, 486, 487 रकबा कुमरा: 0.231 0.303, 0.607, 0.227 कुल रकबा 1.368 हेक्टेयर है। उक्त खेत के संबंध में लक्ष्मी द्वारा विचार विमर्श किया गया। तत्पश्चात् लक्ष्मी द्वारा उक्त वन भूमि हेतु सर्वमती रिजानाई की।	लिया गया निर्णय	उपस्थित पंचों के हस्ताक्षर उपस्थित पंचों के द्वारा।
		<p>  सचिव ग्राम पंचायत सावंगा ज. पं. सौसर </p> <p>  सरपंच ग्राम पंचायत सावंगा ज. पं. सौसर </p>		

पुस्तक

3. सम्मिलन का स्थान डोजनवाडी अरुण 4. सम्मिलन का समय 11.2.2014 5. उपस्थित सदस्यों की संख्या 230


सम्मिलन के कार्यवृत्त

निर्णय: 1 सभा के समक्ष ⁽²⁾ मूलतः डिण्डोडा जंगल डिण्डोडा लिमी. नामक द्वारा स्पेशल इकोनॉमिक जोन (एस. ई. जे. डी.) के निर्माण हेतु राज्य विभाग के अधीन वन भूमी का विवरण ग्राम सावंगा एवं कुवठ नर कुमरा: 426, 467, 486, 487 रकबा कुमरा: 0.231, 0.303, 0.607, 0.227, कुल रकबा 1.368 हेक्टेयर है। उक्त जंगल के संबंध में सभा द्वारा विचार विमर्श किया गया तत्पश्चात् सभा द्वारा उक्त कार्य हेतु सहमती दी जाती है।

निर्णय: 2 आज दिनांक 02.10.2014 को ग्राम सभा का सम्मेलन कर ग्राम सावंगा में अरुण नर कुमरा: 0.231, 0.303, 0.607, 0.227, कुल रकबा 1.368 हेक्टेयर है, उक्त भूमी जंगल रकबा में कानूनी अधिकार अर्थात् 2006 के संवर्धन अधिनियम और अधिनियम के तहत एवं आवासीय कार्य हेतु अन्य अधीन प्रकार का अतिक्रमण एवं दावा नहीं है उक्त ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित कर अनापत्ती प्रमाण-पत्र प्रस्ताव संबंधी कार्य प्रारंभ है।

प्रस्ताव सर्वसम्मती से पारित किया

सभा


 अध्यक्ष, ग्राम सभा



कार्यालय ग्राम पंचायत, सावंगा

विकास खण्ड सौंसर जि. छिंदवाडा (म.प्र.)

सरपंच
श्रीमती विमलबाई कुमारे

क्र. २

मुनादि

दिनांक 29/09/2014

प्रति,
समस्त ग्राम वासियो को सूचित किया जाता है
ग्राम सभा आयोजन स्थान - आठनवाडी भवन दिनांक - 02/10/14
समय 11:00 बजे ग्राम सावंगा में किया जाता है। आम
समस्त 18 वर्ष के ऊपर के मतदाता, पेंशनधारी, बीपीए
एक कार्डधारी ग्राम सभा उपस्थित होकर मत कलंक करें।

सावंगा

विमल
सरपंच

Signature

सचिव
ग्राम पंचायत सावंगा
ज.पं. सौंसर

ग्राम पंचायत सावंगा
तह. सौंसर, जि. छिंदवाडा

1 *Signature*

2 *Signature*

3 *Signature*

4 *Signature*

5 *Signature*

6 *Signature*

7 *Signature*

8 *Signature*

9 *Signature*

10 *Signature*

11 *Signature*

12 *Signature*

13 *Signature*

ग्राम सभा दि. 02/10/24

VIJAYANT
PAGE NO.:
DATE: 20

कार्यक्रम मुख्य कार्य अर्थात् जाणू सेंसर
के पास हूँ 850 / (आ आ लो) पचाण पुण / 2024
अनुसार सोला दिनांक 23/09/24 को अनुसार ग्राम
सभा का कामकाज दिनांक 02/10/2024 को (आण
आगनवाडी अवर लावेण मे समय 11:20 बजे कोपरेण
को सारी




क्र	अपेक्षित सदस्यो के नाम	हस्ताक्षर	
01)	श्री मधुकरजी कवडे (उपसरपंच)		12
02)	श्री निरंजन निकले (सचिव)		13
03)	" पुमादे तिवोले (रोक सदां)		14
04)	श्री श्यामजी कनवोले	श्यामजी कनवोले	15
05)	" मनोज निकले		16
06)	" भगेश कवडे		17
07)	" बालाजी कंधरते	श्री. कंधरते	18
08)	श. सुभाष तिवोले	सुभाष	19
09)	श्रीमती. जुषेदावी शेख (नारीवा)	नारीवा	20
10)	" जयसुनिशा शेख	 जयसुनिशा	21
			22

क्र. सं. संस्था	क्र.	उपस्थित सदस्य के नाम	हस्ताक्षर
ग. सं. संस्था	09	श्री. पंकज टोंके	
ग. सं. संस्था	10	॥ विजय तिरंगुळे	
का. सं. संस्था	11	॥ राजेश कातळे	
का. सं. संस्था	12	॥ राजेश कामे	
का. सं. संस्था	13	॥ सुरेन्द्र नागप्रे	
का. सं. संस्था	14	॥ दिनेशराव कडक (ज.पं. सदस्य)	
का. सं. संस्था	15	॥ चेतन काले	
का. सं. संस्था	16	॥ सागर पट्टे	
का. सं. संस्था	17	॥ प्रमोद कडक	
का. सं. संस्था	18	॥ शोभा कवले	
का. सं. संस्था	19	॥ रविन्द्रजी (कोतवाल)	
का. सं. संस्था	20	॥ दुष्मन्तजी (कोतवाल)	
का. सं. संस्था	21	॥ हेमराजजी कवले	
का. सं. संस्था	22	॥ कोनराजजी मले	

VILAYANT

PAJENU

DATE 30


क्र०	उपरिमत सदस्यो के नाम	ः ठेकावेत	क्र०
23.	श्रीदिगावली काठे	Bogale	37
24.	श्री. बेलवंशी माहव (पुत्रवरी)	 02/10/2014	38
25.	श्री. का. लोखंडे		39
26.	श्री. जी. भा. लोखंडे (गृ. द. वि. क.)		40
27.	श्री. रमेश धोरे		41
28.	मनिषा कडव	मनिषा कडव	42
29.	उमदाव गिरमुरी	 मिना फेरान	43
30.	उमदाव पुट्ट	Umadav	44
31.	रमेश खंडावीकर (पु. पा.)	Ramesh	45
32.	दत्तुजी शिंदे	Dattuji	46
33.	श्री. चंद्रशेखर जोगी		47
34.	" प्रविण सांगारे	प्रविण सांगारे	48
35.	" चेतन कोठे	Chetan	49
36.	"- केशव लोहार		50




30	उपस्थित सदस्यो के नाम	हस्ताक्षर
31	श्री. आरवाण अर्कर	Arav
32	" विठ्ठल व कोले	विठ्ठल
39	" रवि कोले	Ravi
40	सौ. प्रामिला निपाने (आंग कार्य)	Pranila
41	श्री. चन्द्रशेखर जोशी	Chandra
42	श्री. गणेश उदाररे	गणेश उदाररे
43	श्रीमती. अनुराधा पट्टे (आ. कार्य)	श्री अनुराधा पट्टे
44	" मिनारवाडि कंबरे (—u—)	M. Ambante
45	श्री. प्रशांत तिबोले	Prashant
46	" निलेश तिबोले	निलेश
47	श्रीमती. सीमा लुई (A.M.M)	Seema
48	श्री. नीलकण्ठ विठ्ठलरे (M.P.W)	NSS
49	" निलेश तिबोले	Nilesh
50	श्रीमती. शशांताबाई उदाररे	शशांतीबाई

51)	श्री सीमती, पार्वतीबाई धरोड	11/2/11	65
52)	श्री पांडुरंग कोल्हे	पांडुरंग कोल्हे	66
53)	श्रीमती रुजाला पायल	Suty	67
54)	श्री, श्यामल कातकेड	 कातकेड	68
55)	॥ रमेश कडक (पंच)	कडक	69
56)	॥ जितेंद्र कातकेड	Katke	70
57)	॥ उमेश अंबरे	U. Ambare	71
58)	॥ परशुराम कुंकडेजी	परशुराम कुंकडे	72
59)	॥ वेणुधर कुंकडेजी	V. Kulkarni	73
60)	॥ जिवन चौहाण	J. Chohan	74
61)	॥ चैतान धोले	चैतान धोले	75
62)	श्री रविंद्र कडक (पंच)	Ravi Kulkarni	76
63)	॥ रमेशजी वानखेड	Ramesh Wankhede	77
64)	॥ प्रकाश अंबरे	अंबरे	78

क्र.	उपस्थित सदस्यों के नाम	हस्ताक्षर
65)	श्री. वासुदेवराव चौहाण	
66)	" संतोषराव कातकडे	संतोष कातकडे
67)	" अनंतराव चौहाण	अनंतराव चौहाण
68)	" सुरेश मिश्र	सुरेश मिश्र
69)	" डा. वि. ए. टेंकरे	
70)	" रवींद्र कोल्हे	रवींद्र
71)	" सुनील कामरे	सुनील कामरे
72)	" प. ल. वेंकटराव	प. ल. वेंकटराव
73)	सविता बावणे	सविता बावणे
74)	इंदिरा सुरकुते	इंदिरा सुरकुते
75)	सविता बावणे	सविता बावणे
76)	रा. र. लाल शेल	रा. र. लाल शेल
77)	नामदेव कोल्हे	नामदेव कोल्हे
78)	सुभाष - वल्लभ	सुभाष



क्र	नाम	पद	हस्ताक्षर	क्र
79)	किरोन शेरव		किरोन शेरव	93)
80)	कपूरन कडक			94)
81)	कमिठ शेरव			95)
82)	हरि जोगी		हरि	96)
83)	दिलीप धनराज कडक			97)
84)	सुरेश पट्टे		सुरेश पट्टे	98)
85)	विनाय कालकडे		विनाय कालकडे	99)
86)	सुरेश देवराव शिंदेसागर	-	सुरेश	100)
87)	सुदर्शन अंबरले	-	सुदर्शन अंबरले	101)
88)	कुंदा अंबरले	-	कुंदा	102)
89)	विवादास अंबरले	-	सुदर्शन अंबरले	103)
90)	विनायक अंबरले	-	वि	104)
91)	शशी कुर्वे	-	शशी कुर्वे	105)
92)	गणेश लीळोत	-		106)


क्र	नाम	पद	उत्तरदाता
93)	अश्विनी कुर्वे	—	अश्विनी कुर्वे
94)	सुधाकर कवचगोड्डे	—	सुधाकर गोड्डे
95)	छाया सुधाकर गोड्डे	—	छाया गोड्डे
96)	हेमराज मधोनी वाकल	—	हेमराज वाकल
97)	अश्विनी वि. गुलाब का देवारी		वि. गुलाब देवारी 
98)	देवराज वि. कवच राऊत		वि. कवच राऊत 
99)	रंजु काड		रंजु काड 
100)	हेमराज	—	हेमराज
101)	शरद निवाले	—	शरद निवाले
102)	बाबुला ल गोड्डे	—	बाबुला ल गोड्डे
103)	अश्विनी शमकाडु वागडे	—	अश्विनी शमकाडु वागडे
104)	हेमराज: संतोष कवच	—	हेमराज
105)	अश्विनी शमकाडु वागडे	—	अश्विनी शमकाडु वागडे
106)	विनोद उकलीराम कुर्वे	—	विनोद कुर्वे

108) चंद्रकाश मंडलक वलवले	— चंद्रकाश वलवले	(120)
109) रामेश्वर मयु कुमठ	— रामेश्वर	(121)
110) दिलीप रामपुत्र वलवले	— दिलीप वलवले	(122)
111) श्यामल वलवले	शुनील	(123)
112) देवका भा. पु. का. म. के	मि. देवका	(124)
		(125)
113) माधुरी विजय अंबरले	— माधुरी अंबरले	(126)
114) नाम दे व भा. म. रा. क. य. व. व. क.	— नाम दे व भा. म. रा. क. य. व. व. क.	(127)
115) धर्मराज मने राम का. म. क. ड.	— Dharmaraj Mane	(128)
116) ओमप्रकाश मीरये	ओमप्रकाश	(129)
117) दिलीप वलवले मीरये	दिलीप वलवले मीरये	(130)
118) श्री. सुभाष नरसुजी मीरये	शुभाष मीरये	(131)
119) मंगलदास वि. नरसुजी मीरये	मि. मंगलदास	(132)
120) विठ्ठल पिला सुभाष मीरये	— विठ्ठल मीरये	(133)

(120)	विजय शिवाय सुकर	-	विजय सुकर
(121)	शिवश्याम सुकर	-	शिवशिव सुकर
(122)	विजयशिव सुकर	-	विजयशिव सुकर
(123)	शिवश्याम सुकर	-	शिवशिव सुकर
(124)	शिवश्याम सुकर काके	-	शिवशिव सुकर
(125)	शिवश्याम सुकर काके	-	शिवशिव सुकर
(126)	शिवश्याम सुकर काके	-	शिवशिव सुकर
(127)	शिवश्याम सुकर काके	-	शिवशिव सुकर
(128)	शिवश्याम सुकर सुकर	-	शिवशिव सुकर
(129)	शिवश्याम सुकर	-	शिवशिव सुकर
(130)	शिवश्याम सुकर सुकर	-	शिवशिव सुकर
(131)	शिवश्याम सुकर सुकर काके	-	शिवशिव सुकर
(132)	शिवश्याम सुकर सुकर सुकर	-	शिवशिव सुकर
(133)	शिवश्याम सुकर सुकर सुकर	-	शिवशिव सुकर

(133)	25/10/11	25/10/11	148)
(134)	25/10/11	25/10/11	149)
(135)	25/10/11	25/10/11	150)
(136)	25/10/11	25/10/11	151)
(137)	25/10/11	25/10/11	152)
(138)	25/10/11	25/10/11	153)
(139)	25/10/11	25/10/11	154)
(140)	25/10/11	25/10/11	155)
141)	25/10/11	25/10/11	156)
142)	25/10/11	25/10/11	157)
143)	25/10/11	25/10/11	158)
144)	25/10/11	25/10/11	159)
145)	25/10/11	25/10/11	160)
146)	25/10/11	25/10/11	161)
147)	25/10/11	25/10/11	162)

क्र. नाक पद

148)	छाया सिखोले	छाया
149)	श्री सुकाम कर्कर	सुभाषकर
150)	श्रीमती संगिता बागबोले	संगिता बागबोले
151)	श्री अमोठ परे	अमोठ परे
152)	श्रीमती विकास जवला	
153)	श्री लमराज कडक	लमराज कडक
154)	श्रीमती सुमन लमराजके बावले	 शि.अ. सुमन
155)	श्री सुनिल अंबरे	सुनिल
156)	॥ निलेश मिसे	निलेश
157)	श्रीमती मुक्ताबाई नांगरे	 शि.अ.बा. मुक्ताबाई
158)	॥ संगीता डामोडे	 शि.अ. संगीता
159)	॥ नयुजी कडक	नयुजी
160)	श्रीमती कनकाबाई डामोडे	 शि.अ. कनकाबाई
161)	॥ राहुल डामे	राहुल
162)		

163)	श्री नरेश मंगले	<u>मंगले</u>	178)	
164)	श्री चेतन कागडे	<u>कागडे</u>	179)	
165)	॥ शिवा पद	<u>शिवा पद</u>	180)	
166)	चेतन पद	<u>चेतन पद</u>	181)	श्री
167)	श्रीमती कनकाबाई पद	<u>कनकाबाई</u>	182)	श्री
168)	श्री वेणुबाजी कुंभार	<u>कुंभार</u>	183)	श्री
169)	॥ प्रशांत शिंदे	<u>P. Shankar</u>	184)	श्री
170)	श्री मारोतराव कुंड	<u>मारोतराव कुंड</u>	185)	श्री
171)	॥ नामदेवजी तिवोल	<u>तिवोल</u>	186)	श्री
172)	॥ संतोषराव तिवोल	<u>संतोषराव तिवोल</u>	187)	॥
173)	॥ काराबेईराव पद	<u>काराबेईराव पद</u>	188)	॥
174)	॥ कुंभारवंत भुव	<u>कुंभारवंत भुव</u>	189)	श्री
175)	श्रीमती रेखाबाई शिंदे	<u>रेखाबाई शिंदे</u>	190)	श्री
176)	॥ गिताबाई मोजळे	<u>गिताबाई मोजळे</u>	191)	॥
177)	श्री मनोज कागडे	<u>मनोज</u>	192)	श्री

VIJAYANTI
 PATENT NO. _____
 DATE: ____/____/19__

187	श्रीमती आशाबाई कुठार	आशा कुठार
188	सागर को सोमचव्हे	सागर सोमचव्हे
189	मोहराज किल्ये	मोहराज
190	वंदना कुमाल	वंदना
191	अश्विन कोळे	अश्विन कोळे
192	इंदिराबाई तिवोळे	कि. अ. इंदिराबाई
193	दिलीपकान पद	कि. इ. दिलीप
194	सिमताई कुठार	सिमता कुठार
195	सुविल काकोळे	सुविल काकोळे
196	अश्विन उड्ड	अश्विन उड्ड
197	रमेश कोळे	रमेश कोळे
198	रामचंद्र अंबरेले	कि. अ. रामचंद्र अंबरेले
199	जयश्री तिवोळे	जयश्री तिवोळे
200	अश्वभावाई तिवोळे	अश्वभावाई तिवोळे
201	श्रीमती वनिता कुठार	वनिता कुठार

PAYEE NO: _____
DATE: _____

विधि

अंक

म. नं.

एत

क

200

201

श्री राजम तिवोले

कोठेरा कोले

श्रीमती, शांताबाई कंबरे

श्रीमती शांताबाई हुमाळ

श्री गणेश कडक

श्रीमती, संगीता तिवोले

श्रीमती अंजनाबाई डार

शांताबाई तिवोले

ताईबाई पाठ

शुभम परे


पुष्पा परे

शुभम अरपाने

श्रीमती शांताबाई तिवोले

श्रीमती इंदिराबाई डार

अंजय तिवोले



श्रीमती
शांताबाई

गणेश कडक



श्री-म
संगीता

अं जी डार

शांताबाई तिवोले

ताई


शुभम परे



श्री.म.
पुष्पा

शुभम

शांता



श्री.म.
इंदिरा

193)	श्री सुरेन्द्र अंबरे	सुरेन्द्र अंबरे	209)
194)	निकीता तिवोल	निकीता तिवोल	209)
195)	श्रीमती. कल्पना बिलेग	कल्पना	210)
196)	श्री. लक्ष्मणराव तिवोल		211
197)	॥ दानंदाय कंबरे	दानंदाय कंबरे	212)
198)	॥ प्रकाशराव कडक	Rachak	213)
199)	श्रीमती नशी डातके	नशी	214)
200)	श्री. रामाजी भागे	रामाजी	215)
201)	श्रीमती. शांताबाई तिवोल	श्री. म. शांताबाई	216)
202)	॥ अपेक्षा पट्टे	Apeksha Patte	217)
203)	श्री. गेहेन्द्र मिले	Gemil	218)
204)	॥ महेंद्र बिलेग	महेंद्र	219)
205)	श्रीमती. संगीताबाई कडक	संगीता कडक	220)
206)	॥ मलुबाई पट्टे	मलु	221)
207)			

222)	श्री दामुनी कोणे	दा. म्हु
223)	॥ दादासाय पट्टे	दा. दा. 20 व
224)	॥ मंगेश कुते	Manjeshi
225)	श्रीमती माधुरी मिलने	माधुरी
226)	॥ शेवंतीबाई पट्टे	
227)	॥ सुनीताबाई पट्टे	सुनीता
228)	॥ नलुबाई पट्टे	सौ. नलु पट्टे
229)	श्रीमती. सविता कंबले	सविता अंबले
230)	॥ शिल्पा कडक	शिल्पा कडक

सत्य प्रतिक्रिया
 @Anirudh
 सचिव
 ग्राम पंचायत कार्यालय
 वि. पं. सोसाय

— ग्राम सभा का सहमति पत्र —

प्रमाणित किया जाता है कि—

1. मेसर्स छिन्दवाडा प्लस डेव्हलपर्स लि. नागपुर की (परियोजना का नाम) "विशेष आर्थिक क्षेत्र" (S.E.Z.) में विकास कार्य किया जाना प्रस्तावित है. मेरे पंचायत क्षेत्र के ग्राम दुधालाखुर्द के आरक्षित/संरक्षित वन क्षेत्र के वन खण्ड खापाकरीमवार AB एवं दुधालाखुर्द के कक्षक्रमांक P 1592, P 1593 में /राजस्व वन क्षेत्र के ग्राम — दुधालाखुर्द ख. नं. क्रमशः 12, 29, 30, 31, 40, 46, 49, 50, 55, 67, 68, 69, 70, 73, 74, 75, 76, 77, 95, 98, 102, 109, 110, 118, 119, 120, रकबा क्रमशः — 0.081, 3.517, 1.611, 2.108, 0.235, 0.089, 0.065, 2.727, 0.640, 0.559, 0.142, 0.700, 0.810, 0.162, 0.093, 1.433, 0.825, 0.105, 2.120, 0.644, 0.559, 2.521, 0.081, 0.514, 0.032, 2.464 कुल रकबा — 24.837 हेक्टर में है, उक्त वन भूमि के व्यपवर्तन का प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत ग्राम सभा के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुआ है।
2. वन भूमि व्यपवर्तन का प्रस्ताव अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत पात्र वन निवासियों की ग्राम सभा के समक्ष रखा गया है। प्रस्ताव का परीक्षण एवं उस पर चर्चा ग्राम सभा की बैठक दिनांक 03/10/2014 को की गई, जिसमें ग्राम सभा की कोरम की पूर्ति की गई है।
3. ग्राम सभा यह प्रमाणित करती है कि, व्यपवर्तन के लिए आवेदित वन भूमि के सम्पूर्ण क्षेत्र पर अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत समस्त औपचारिकताओं/प्रक्रियाओं का पालन पूर्ण कर लिया गया है। तथा ग्राम सभा ने व्यपवर्तन के प्रस्ताव के विवरण को समझ लिया है।
4. वन भूमि व्यपवर्तन के फलस्वरूप संपादित किये जाने वाले कार्य से पंचायत क्षेत्र के विकास की संभावना है। अतः ग्राम सभा एतद् द्वारा उक्त कार्य पर अपना अभिमत/सहमति व्यक्त करती है।

संलग्न :- ग्रामसभा की बैठक की कार्यवाही विवरण की छायाप्रति

दिनांक :-


सचिव
ग्राम पंचायत सावगी
हस्ताक्षर
सचिव
ग्राम पंचायत सावगी
हस्ताक्षर
सदस्य
ग्राम पंचायत सावगी
हस्ताक्षर
तह सौसर जि छिन्दवाडा

टीप :- प्रस्ताव पर यदि ग्राम सभा सहमत हो तभी यह प्रमाण-पत्र जारी किया जाये। यदि ग्राम सभा सहमत नहीं है तो प्रमाण-पत्र न जारी किया जाये।



कार्यालय ग्राम पंचायत, सावंगा

विकास खण्ड सौंसर जि. छिंदवाडा (म.प्र.)

सरपंच

श्रीमती विमलबाई कुमारे

क.२

प्रमाण - ५५

दिनांक 10/10/2014

प्रति,
 प्रमाणित किया जाता है की, मेसर्स छिंदवाडा पत्तल डेव्हलपर्स लिमि. द्वारा दक्षिण क्षेत्रीय वन मंडल, छिंदवाडा के वन परिशिष्ट कब्जान के अंतर्गत कुल क्वा 24.837 हेक्टेयर छोटे-बड़े इमाड का जंगल मरु की जमीन "विशेष आर्थिक क्षेत्र" स्थापना हेतु प्रस्तावित है।

दिनांक 03/10/2014 को ग्राम पंचायत सावंगा द्वारा ग्राम दुधाला (मुर्द) में ग्राम सभा की बैठक बुलाई जाकर बैठक में मेसर्स छिंदवाडा पत्तल डेव्हलपर्स द्वारा कुल क्वा 24.837 हेक्टेयर छोटे-बड़े इमाड के जंगल मरु की भूमि का आवेदन प्रस्तुत किया है। इस विषय पर ग्राम वासियों द्वारा चर्चा एवं जानकारी लेकर की उक्त प्रस्तावित भूमि पर कोई ऐतिहासिक स्मारक / धार्मिक स्थल, देवस्थान, मंदिर, मस्जिद, मस्जिद या कब्रिस्तान इत्यादि नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

विमल
सरपंच

ग्राम पंचायत सावंगा
ख. सौंसर जि. छिंदवाडा

(Signature)
सचिव

ग्राम पंचायत सावंगा
ज. पं. सौंसर

कार्यवाही (प्रोसीडींग) रजिस्टर की सत्य प्रतिलिपी

कार्यालय ग्राम पंचायत सावंग जनपद पंचायत सौसर, जिला छिंदवाडा (म. प्र.)

ग्रामसभादिनांक 03/10/2014










उपस्थित पंचों के नाम	विषय (प्रस्ताव)	की गई कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण	लिया गया निर्णय	पंचों के हस्ताक्षर
2	3	4	5	6
कुल उपस्थित	पुस्तक क्र. (वि. प्र.) मेसर्स	निर्माण सभा के समक्ष मेसर्स छिंदवाडा		
	छिंदवाडा पंचायत डेप्युटी कमिश्नर	पंचायत डेप्युटी कमिश्नर लिमी. नागपुर व्हा।		
	लिमी. नागपुर (कार्पोरेट) स्थापना डेप्युटी कमिश्नर	लिमी. नागपुर (कार्पोरेट) स्थापना डेप्युटी कमिश्नर		
	डेप्युटी कमिश्नर (एच. ई. डी.)	निर्माण हेतु राजस्व विभाग के अधीन		
	के निर्माण के संबंध में	बन भूमि का विवरण ग्राम दुधाला खुर्द		उपस्थित सदस्यों
		खण्ड क्रमांक: 12, 29, 30, 31, 40, 46, 49, 50,		के द्वारा उपस्थित
		55, 67, 68, 69, 70, 73, 74, 75, 76, 77, 95, 98		पंजी मेसर्स।
		102, 109, 110, 118, 119, 120 स्कवा 842।		
		0.081, 3.517, 1.611, 2.108, 0.235, 0.089		
		0.065, 2.727, 0.640, 0.559, 0.142.		
		0.700, 0.810, 0.162, 0.093, 1.433,		
		0.825, 0.105, 2.120, 0.644, 0.559,		
		2.521, 0.081, 0.514, 0.032, 2.464 इत		
		स्कवा 24.837 हल्लर ही उपर्युक्त पंचायत		
		के संबंध में सभा द्वारा विचार विमर्श		

दिनांक 03/10/2014

VIJAYANTI
PAGE NO.:
DATE: 20

4

कार्यालय मुख्य कार्यालय सा. वि. जनपद पंचायत, सोनार
के फन नं. 850/ग्रा.स. पंचायत पं. जन. पंच. 2014
सो. वि. दिनांक 27.9.14 के अनुसार ग्रा.सभा का
आयोजन दि. 03.10.14 को स्थान, धनुसाग सहीर, दुधाल
खुर्द के समय 2.00 बजे कि गई है।

क्र.	उपस्थित सदस्यो के नाम	हस्ताक्षर
01	श्री मधुकरजी केवड (इपसरपंच)	
02	" निरंजन मिश्रे (सचिव)	
03	" प्रमोद तिवारे (शेठलवाठ)	
04	" धनराज उड्डे	
05	" विनोद कुमारे	
06	" रामचंद्रजी सहारे	
07	" नरेशराव धुर्वे	
08	" सुभाष धुर्वे	
09	" शांतिरावजी केगाळे	
10	" उमेश कुमारे	

25) श्री विजय मठाम

विजय मठाम

26) " मिमलव परीत

गुणमाला 3500

सिद्ध मल्लिकार्जुन

(Signature)
सचिव
ग्राम पंचायत सावंगा
ज.पं. सावंगा

317

2/21

पुस्तक

3. सम्मिलन का स्थान हुमानपुर 4. सम्मिलन का समय 02/07/85 5. उपस्थित सदस्यों की संख्या 26
 सम्मिलन के कार्यवृत्त

निर्माण : ग्राम सभा के लक्ष्य मेलन खिखवाडा पूरा उपलब्ध
 निर्माण नागाडा (वडा) स्वयंसेवा इकोनॉमिक जेठ (1985) के निर्माण हेतु राजस्व विभाग के अधीन जन श्रुति का विवरण ग्राम हुमानपुर एवं नं क्रमशः 12, 29, 30, 31, 40, 46, 49, 50, 55, 67, 68, 69, 70, 73, 74, 75, 76, 77, 95, 98, 102, 109, 110, 118, 119, 120 रकबा क्रमशः 0.081, 3.517, 1.611, 2.108, 0.235, 0.089, 0.065, 2.727, 0.640, 0.559, 0.142, 0.700, 0.810, 0.162, 0.093, 1.433, 0.825, 0.105, 2.120, 0.644, 0.559, 2.521, 0.081, 0.514, 0.032, 2.464 कुल रकबा 24.837 हेक्टेयर है। उक्त खेतों के लक्ष्य में लक्ष्य वडा विचार विमर्श किया गया लक्ष्य प्राप्त लक्ष्य वडा उक्त काय कहे हेतु सहमती दि जाती है।

निर्माण : आज दिनांक 03.10.14 को ग्राम सभा का आयोजन कर ग्राम हुमानपुर में खेत नं क्रमशः 12, 29, 30, 31, 40, 46, 49, 50, 55, 67, 68, 69, 70, 73, 74, 75, 76, 77, 95, 98, 102, 109, 110, 118, 119, 120, रकबा क्रमशः 0.081, 3.517, 1.611, 2.108, 0.235, 0.089, 0.065, 2.727, 0.640, 0.559, 0.142, 0.700, 0.810, 0.162, 0.093, 1.433, 0.825, 0.105, 2.120, 0.644, 0.559, 2.521, 0.081, 0.514, 0.032, 2.464 कुल रकबा 24.837 हेक्टेयर है। उक्त श्रुति खेतों रकबा में वनाधिकार अधीन 2006 के अंतर्गत आधिकारी गैर आधिकारी के वर्ग में वन आवस्य कार्य हेतु ग्राम की लक्ष्य प्रकार का अतिक्रमण एवं वातावरण है, उक्त ग्र. स. में पुस्तक पारित कर आवासीय प्रभाग प्रस्तावित कर अपनी ओर प्रस्तुत है। प्रस्तावित कर लक्ष्य ले पारित किया गया।

(हस्ताक्षर)
 अध्यक्ष, ग्राम सभा

1. ग्राम सभा का नाम सुशाला (पूर्व) समितन की तारीख 03/10/2014

ग्राम सभा के समक्ष रखे गए विषय

(16) मेलेरन डिस्ट्रिक्टवाइज प्लान (1) के अन्तर्गत मिरीड गांगपुर
का (1) स्पेशल इकोनोमिक जोन (एच. ई. जेड) के निर्माण
के

(17) राजस्व विभाग के अधीन वन भुमी में वन अधिकार अधिन
2006 के तहत अधिकारों के विशिष्टता के अनापत्ती प्रमाण-
पत्र के संबंध में।

(Signature)
(हस्ताक्षर)

ग्राम पंचायत कार्यालय
ज. पं. सीसर

दिनांक 03/10/2014

VILLAGE
PAGE NO. _____
DATE: 03/10/14


(4)

के.क. कार्यालय मुख्य कार्यालय रा.घ. जनपद पंचायत, सोरठ
के फन नं. 850/ग्रा.स. पंचायत पं. जन. पंच. 2014
सोरठ दिनांक 27.9.14 के अनुसार ग्रा.सभा का
आयोजन दि. 03.10.14 को स्थान, धनुमान मंदीर, दुधाल
वर्ग में समय 2:00 बजे कि गई है।


क्र. उपस्थित सदस्यों के नाम

हस्ताक्षर

01 श्री मधुकरजी कुवेड (उपसहस्रपंच)




02. " निरंजन मिश्रे (सचिव)



03. " प्रभात विखोले (शेठ नगर)




04. " धनराज उड्डे



05. " विनायक कुमारे



06. " रामचंद्रजी सहारे




07. " नरेशराव घुर्वे




08. " सुभाष घुर्वे



09. " शामरावजी केगाळे



10. " उमेश कुमारे



- 11) श्री. मेहनू महादे मेहनू रामचंद्र महादे 25)
- 12) श्री. दिपक पाटील दिपक 26)
- 13) श्रीमती. इंदिराबाई पाटील इंदिरा पाटील
- 14) " रेवकुबाई इवताती रेवकु इवताती
- 15) " निर्मलबाई धनवडे निर्मल
- 16) श्री. बाबासाहेब इवताती बाबासाहेब
- 17) " हेमराजजी पाटील हेमराजजी
- 18) " नरेश सुरेशभाऊ नरेश सुरेशभाऊ
- 19) " सुनिल कुर्वे सुनिल
- 20) " मारोत्तम शकुंत मारोत्तम शकुंत
- 21) " प्रल्हाद इरपाची प्रल्हाद विरपाची
- 22) " चंद्रकांत धनवडे चंद्रकांत धनवडे
- 23) " विजय कलकाम विजय कलकाम
- 24) " रोहराज कुमरे रोहराज कुमरे

VIJAYANTI
PAGE NO.:
DATE: / / 20

5

25) श्री विजय मरठाम विगत मरठाम

26) " विमलय यरीम ग्रीमलय 3400

सिद्ध मल्लिकवि

(Signature)
सचिव
ग्राम पंचायत सावंगा
ज. पं. सावंगा

317

2
124

3





कार्यालय ग्राम पंचायत, सावंगा

विकास खण्ड सौसर जि. छिंदवाडा (म.प्र.)

सरपंच
श्रीमती विमलबाई कुमारे

क. २

मुनादी

दिनांक ३०/१३/२०१५

प्रति,

समस्त ग्राम वसिधो को लुचीत कीज जानाई की काम लका का आयोजन स्यात- हनुमान मंदिर मे दिनांक ०३/१०/२०१५ को समय ०२ से ०५ बजे तक कार्यक्रम (मुदी) मे किया जानाई।

कार्य लकाल १४ वर्ष के ऊपर के मतदाता, प्रेशनधारि, एवं वीर पीठ हलक राशन कार्डधारी काम लका मे कोरे हेतु सादर कामंत्रित है।
दुधाका शुद्धी

- | | |
|--------------|--------------------|
| १ A. Jati | ११ दुधु कुमारे |
| २ Nishu | १२ हाथेवर प्रकाश |
| ३ Iswar | १३ हमराज प्रकाश |
| ४ विभवपरीप | १४ बलव पविल |
| ५ विनोद | १५ राजकुमार प्रकाश |
| ६ भावेश | १६ रामराज |
| ७ प्रीतुपरिप | १७ रामपुराव इवभाष |
| ८ रंगवारा | १८ विनोद |
| ९ किरावपरीप | १९ सुभाष |
| १० धरम | २० सुभाष |

B. Mishra
सचिव
ग्राम पंचायत सावंगा
ज. पं. सौसर

विमल
सरपंच
ग्राम पंचायत सावंगा
ज. पं. सौसर, जि. छिंदवाडा



कार्यालय ग्राम पंचायत, सातनुर

जनपद पंचायत सौंसर, जि. छिन्दवाडा (म.प्र.)

क्रमांक -

दिनांक 15-10-2015

प्रति,

~~रोनिहारिक प्रकार - 431~~

~~प्रकारित किया जाता है कि मेमर्ब छिनवाडा प्लान डेवेलपमेंट
प्लान द्वारा वसिगा जेगीप वन गंडमि छिनवाडा के वन परिजोग कन्ट्रान
के अंतर्गत कुल रकवा 34.358 हेक्टेयर छोटे-बड़े झाड का जंगल
मद की जमीन विशेष माथिक जेग रचापता हेतु प्रकाशित की है।~~

~~दिनांक 02-10-14 को ग्राम पंचायत सातनुर द्वारा ग्राम सातनुर
खापाडीमवा, कोडाडोंगरी मालगुली, कोडाडोंगरी बी-1, कोडाडोंगरी बी-2 एवं
कोडाडोंगरी इवासी सं. ग्राम मरा की वैंड कुलाई नाक वैंड नं. मेमर्ब
छिनवाडा प्लान डेवेलपमेंट प्लान द्वारा कुल रकवा 34.358 हेक्टेयर
छोटे-बड़े झाड के जंगल मद की उभी का माडेसु प्रकृत किया है,
इस विषय पर ग्राम वासियों द्वारा चर्चा एवं जानकारी लेक की
उक्त प्रकाशित श्रुति पर कोई रोनिहारिक स्कार/ धार्मिक र-पल,
देव र-पान मंदिर, मस्जिद, मरघल या ककलान इत्यादी नहीं है।~~

~~प्रकारित किया जा लय एवं लही है~~

सरपंच
ग्राम पंचायत, सातनुर
वि. ख. सौंसर

सरपंच
ग्राम पंचायत, सातनुर
वि. ख. सौंसर

कार्यालय ग्राम सभा कोदाडोंगरी, जनपद पंचायत सौसर, जिला - छिन्दवाडा मध्यप्रदेश

- ग्राम सभा का सहमति पत्र -


प्रमाणित किया जाता है कि-

1. मेसर्स छिन्दवाडा प्लस डेव्हलपर्स लि. नागपुर की (परियोजना का नाम) "विशेष आर्थिक क्षेत्र" (S.E.Z.) में विकास कार्य किया जाना प्रस्तावित है, मेरे पंचायत क्षेत्र के ग्राम कोदाडोंगरी मालगुजारी, कोदाडोंगरी बी.2, कोदाडोंगरी दवामी के आरक्षित/संरक्षित वन क्षेत्र के वन खण्ड खापाकरीमवार ABC के कक्ष क्रमांक P 1593, P 1594 में / राजस्व वन क्षेत्र के ग्राम - कोदाडोंगरी बी. 1 ख. नं. 2, 8, 18 रकबा क्रमशः - 0.271, 1.943, 11.096 कुल रकबा - 13.310 कोदाडोंगरी बी. 2 ख.नं. 19/4, 41 रकबा क्रमशः - 1.500, 1.275 कुल रकबा - 2.775 हेक्टर, कोदाडोंगरी दवामी ख.नं. क्रमशः 1, 4, 6, 10 रकबा क्रमशः - 2.509, 0.425, 0.206, 0.138 कुल रकबा - 3.278 कुल रकबा कोदाडोंगरी मालगुजारी ख.नं. क्रमशः 43, 46, 48, 52, 57, 61, 69, 104, 107, 111, 113, 134 रकबा क्रमशः - 0.004, 0.004, 0.551, 0.247, 1.526, 0.372, 0.004, 0.004, 0.077, 0.004, 0.494, 0.004 कुल रकबा - 3.291 हेक्टर है, उपरोक्तानुसार ग्रामों का कुल रकबा 22.654 हेक्टेयर है। उक्त वन भूमि के व्यपवर्तन का प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत ग्राम सभा के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुआ है।
2. वन भूमि व्यपवर्तन का प्रस्ताव अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत पात्र वन निवासियों की ग्राम सभा के समक्ष रखा गया है। प्रस्ताव का परीक्षण एवं उस पर चर्चा ग्राम सभा की बैठक दिनांक 05/10/2014 को की गई, जिसमें ग्राम सभा की कोरम की पूर्ति की गई है।
3. ग्राम सभा यह प्रमाणित करती है कि, व्यपवर्तन के लिए आवेदित वन भूमि के सम्पूर्ण क्षेत्र पर अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत समस्त औपचारिकताओं/प्रक्रियाओं का पालन पूर्ण कर लिया गया है। तथा ग्राम सभा ने व्यपवर्तन के प्रस्ताव के विवरण को समझ लिया है।
4. वन भूमि व्यपवर्तन के फलस्वरूप संपादित किये जाने वाले कार्य से पंचायत क्षेत्र के विकास की संभावना है। अतः ग्राम सभा एतद् द्वारा उक्त कार्य पर अपना अभिमत/सहमति व्यक्त करती है।

संलग्न :- ग्रामसभा की बैठक की कार्यवाही विवरण की छायाप्रति ।

दिनांक :- 15-10-14


साराव
ग्राम पंचायत, सातनूप
दि. नं. २०१२०


साराव
ग्राम पंचायत, सातनूप
हस्ताक्षर, नाम एवं मुद्रा सहित

टीप :- प्रस्ताव पर यदि ग्राम सभा सहमत हो तभी यह प्रमाण-पत्र जारी किया जाये। यदि ग्राम सभा सहमत नहीं है तो प्रमाण-पत्र न जारी किया जाये।

- ग्राम सभा का सहमति पत्र -

प्रमाणित किया जाता है कि-

1. मेसर्स छिन्दवाडा प्लस डेव्हलपर्स लि. नागपुर की (परियोजना का नाम) "विशेष आर्थिक क्षेत्र" (S.E.Z.) में विकास कार्य किया जाना प्रस्तावित है, मेरे पंचायत क्षेत्र के ग्राम सातनूर, खापाकरीमवार के आरक्षित/संरक्षित वन क्षेत्र के वन खण्ड खापाकरीमवार ABC के कक्ष क्रमांक P 1593, P 1594 में /वन एवं राजस्व वन क्षेत्र के ग्राम - खापाकरीमवार ख.नं. क्रमशः 23, 26, 28, 29, 30, 38, 51, 62, 76, 118, 121, 122, 132 रकबा क्रमशः - 0.202, 0.320, 0.202, 0.316, 0.113, 0.320, 0.312, 0.004, 0.162, 0.275, 0.275, 0.049, 0.129 कुल रकबा - 2.679 हेक्टर, सातनूर ख.नं. क्रमशः 56, 59, 61, 84, 87, 123, 131, 136, 137, 138, 139, 145, 265, 293, 310, 316, 334 रकबा क्रमशः - 0.004, 0.162, 0.053, 0.097, 0.004, 0.421, 0.004, 0.004, 0.004, 0.004, 0.004, 0.008, 0.028, 0.004, 0.004, 0.490, 8.330 कुल रकबा 9.625 हेक्टर में है, उपरोक्तानुसार ग्रामों का कुल रकबा 12.304 हेक्टर है। उक्त वन भूमि के व्यपवर्तन का प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत ग्राम सभा के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुआ है।
2. वन भूमि व्यपवर्तन का प्रस्ताव अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत पात्र वन निवासियों की ग्राम सभा के समक्ष रखा गया है। प्रस्ताव का परीक्षण एवं उस पर चर्चा ग्राम सभा की बैठक दिनांक 02/10/2014 को की गई, जिसमें ग्राम सभा की कोरम की पूर्ति की गई है।
3. ग्राम सभा यह प्रमाणित करती है कि, व्यपवर्तन के लिए आवेदित वन भूमि के सम्पूर्ण क्षेत्र पर अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत समस्त औपचारिकताओं/प्रक्रियाओं का पालन पूर्ण कर लिया गया है। तथा ग्राम सभा ने व्यपवर्तन के प्रस्ताव के विवरण को समझ लिया है।
4. वन भूमि व्यपवर्तन के फलस्वरूप संपादित किये जाने वाले कार्य से पंचायत क्षेत्र के विकास की संभावना है। अतः ग्राम सभा एतद् द्वारा उक्त कार्य पर अपना अभिमत/सहमति व्यक्त करती है।

संलग्न :- ग्रामसभा की बैठक की कार्यवाही विवरण की छायाप्रति ।

दिनांक :- 15-10-14


साराव
ग्राम पंचायत, सातनूर


प्रधान सचिव
ग्राम पंचायत, सातनूर
हस्ताक्षर नाम एवं मुद्रा सहित

टीप :- प्रस्ताव पर यदि ग्राम सभा सहमत हो तभी यह प्रमाण-पत्र जारी किया जाये। यदि ग्राम सभा सहमत नहीं है तो प्रमाण-पत्र न जारी किया जाये।

ग्राम सभा कोशोशी (सक) कार्यालय (कोशोशी) रजिस्ट्रार की लघु प्रतिनिधी

दिनांक	उपस्थित पंचों के नाम	विषय (प्रमाण)	बी जी कार्यालय वा लिखित विवरण	सिमा गांव सिरीय	पंचों के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
05-10 2014	<p>01 श्री रिशनी देवे (अध्यक्ष)</p> <p>ग्राम सभा कोशोशी (सक) के उपस्थित पंचों नुसार 24 लघु उपस्थित थी</p>	<p>प्रमाण क्र. 16:-</p> <p>मेसर्स इकोनॉमिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स के निर्माण हेतु रासख विभाग के अधिन कन डी की अनापत्ति देते आवा।</p>	<p>सभा के सभा मेसर्स इकोनॉमिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स के निर्माण हेतु रासख विभाग के अधिन कन डी की 01 ग्राम कोशोशी बी-1 प. ट. नं. 60/23 के जो खंडों नंबर क्रमा-05, 08, 18, 26 न क्रमा- 0-271, 1-343, 11-036 कुल रकम 13-318 टेकर मा- छोटे झाड का जंगल 02 ग्राम कोशोशी बी-2 प. ट. नं. 60/23 के जो खंडों नंबर क्रमा 13/1, 41 रकम क्रमा 1-500, 1-275 कुल रकम 2-775 टेकर मा- छोटे झाड का जंगल 03 ग्राम कोशोशी तवासी प. ट. नं. 60/23 के जो खंडों नंबर क्रमा-01 04, 06, 10 रकम क्रमा- 2-509, 0-425, 0-206, 0-138 कुल रकम 3-278 टेकर मा- छोटे झाड का जंगल 04 ग्राम कोशोशी सातनूरी प. ट. नं. 60/23 के जो खंडों नंबर क्रमा 42, 46, 48, 52, 57, 61, 69, 104, 107, 111, 113, 135 रकम क्रमा- 0-014 0-004, 0-551, 0-247, 1-526, 0-372, 0-004, 0-004, 0-077, 0-014 0-434, 0-004 कुल रकम 3-231 टेकर मा- छोटे झाड का जंगल सभा के सभा ग्राम (क्रमा खंडों नंबर रकम नंबर परत नुसार) गांव सभा द्वारा विवरण-सिरीय किरा गावा लघु उपस्थित सभा द्वारा मेसर्स इकोनॉमिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स के निर्माण हेतु की अनुमति दि जाये।</p> <p>सत्य प्रतिलिपि</p>	<p>लघु</p> <p>लघुसक्ति</p> <p>न</p> <p>पारित</p>	
			<p>साहित</p> <p>ग्राम पंचायत सातनूर</p> <p>दि. 05 अक्टूबर</p>	<p>रिशाणी देवे</p> <p>अध्यक्ष</p> <p>ग्राम पंचायत सातनूर</p> <p>दि. 05 अक्टूबर</p>	

05-10-17

प्र. क्र. 14L शासकीय वीज शासन के अंतर्गत
शासन प्राधिकृत एवं सार्वजनिक शासकीय वीज
विद्युतों के संबंध में सूचना देते हैं
उद्देश्य - लक्ष्य के लक्ष्य सफलता के लक्ष्य
गति पथ के लक्ष्य के लक्ष्य के लक्ष्य
समाप्त, विद्युत गति के लक्ष्य के लक्ष्य
एक लक्ष्य के लक्ष्य

प्र. क्र. 15L स्वच्छता राज्य कायदा
विषय - लक्ष्य के लक्ष्य के लक्ष्य के लक्ष्य
के लक्ष्य के लक्ष्य के लक्ष्य के लक्ष्य
प्र. क्र. 16L - मेसर्स इकोनॉमिक्स इनोवेटिव
के लक्ष्य के लक्ष्य के लक्ष्य के लक्ष्य

विषय - लक्ष्य के लक्ष्य के लक्ष्य के लक्ष्य
के लक्ष्य के लक्ष्य के लक्ष्य के लक्ष्य
वन उमी 11 शासन कोडिंगेरी वी-1 प.ए.न.
60/23 के लक्ष्य के लक्ष्य के लक्ष्य के लक्ष्य
रकम के लक्ष्य के लक्ष्य के लक्ष्य के लक्ष्य
13.310 हेक्टर लक्ष्य - लक्ष्य के लक्ष्य के लक्ष्य

11 शासन कोडिंगेरी वी-2 प.ए.न. 60/23 के लक्ष्य के लक्ष्य
के लक्ष्य के लक्ष्य के लक्ष्य के लक्ष्य
लक्ष्य के लक्ष्य के लक्ष्य के लक्ष्य के लक्ष्य
लक्ष्य के लक्ष्य के लक्ष्य के लक्ष्य के लक्ष्य
लक्ष्य के लक्ष्य के लक्ष्य के लक्ष्य के लक्ष्य
लक्ष्य के लक्ष्य के लक्ष्य के लक्ष्य के लक्ष्य
लक्ष्य के लक्ष्य के लक्ष्य के लक्ष्य के लक्ष्य

11 शासन कोडिंगेरी शासकीय वी-ए.न. 60/23 के लक्ष्य के लक्ष्य
के लक्ष्य के लक्ष्य के लक्ष्य के लक्ष्य के लक्ष्य
लक्ष्य के लक्ष्य के लक्ष्य के लक्ष्य के लक्ष्य
लक्ष्य के लक्ष्य के लक्ष्य के लक्ष्य के लक्ष्य
लक्ष्य के लक्ष्य के लक्ष्य के लक्ष्य के लक्ष्य
लक्ष्य के लक्ष्य के लक्ष्य के लक्ष्य के लक्ष्य
लक्ष्य के लक्ष्य के लक्ष्य के लक्ष्य के लक्ष्य

प्र. क्र. 17L - लक्ष्य के लक्ष्य के लक्ष्य के लक्ष्य
के लक्ष्य के लक्ष्य के लक्ष्य के लक्ष्य के लक्ष्य
लक्ष्य के लक्ष्य के लक्ष्य के लक्ष्य के लक्ष्य
लक्ष्य के लक्ष्य के लक्ष्य के लक्ष्य के लक्ष्य
लक्ष्य के लक्ष्य के लक्ष्य के लक्ष्य के लक्ष्य
लक्ष्य के लक्ष्य के लक्ष्य के लक्ष्य के लक्ष्य
लक्ष्य के लक्ष्य के लक्ष्य के लक्ष्य के लक्ष्य

प्र. क्र. 18L पानी के लक्ष्य के लक्ष्य के लक्ष्य के लक्ष्य
के लक्ष्य के लक्ष्य के लक्ष्य के लक्ष्य के लक्ष्य
लक्ष्य के लक्ष्य के लक्ष्य के लक्ष्य के लक्ष्य
लक्ष्य के लक्ष्य के लक्ष्य के लक्ष्य के लक्ष्य
लक्ष्य के लक्ष्य के लक्ष्य के लक्ष्य के लक्ष्य
लक्ष्य के लक्ष्य के लक्ष्य के लक्ष्य के लक्ष्य
लक्ष्य के लक्ष्य के लक्ष्य के लक्ष्य के लक्ष्य

संज्ञित
नाम प्रमाणित, तादका
के लक्ष्य के लक्ष्य

① एक कोडाडोंगी नामधारी प. ए. नं. 60/23 की

संख्या 43, 46, 48, 52, 57, 61, 64, 104, 111, 113, 134 रकम रुका 0.004, 0.004, 0.331, 0.247, 1.526, 0.372, 0.004, 0.004, 0.077, 0.004, 0.454, 0.004 रुका रकम 3.291 हेक्टर मस -

कोडे नाम का जंगल लका के लका जंगल

जंगल मंगल नाम रकम नाम पलक जंगल

जंगल लका डाक विचार - विचार किना नाम

जंगल 542 नाम लका डाक मेलक रकम नाम

जंगल किना लका की जंगल कि डाक

जंगल 171 - कोडाडोंगी जंगल - पल के लका

लका के लका मेलक रकम नाम लका के

किना के लका विचार के लका जंगल

मस - कोडे - लका मस का जंगल जंग कोडाडोंगी

जंगल प. ए. नं. 60/23 जंगल मंगल लका 03 जंगल

रकम 13.31 हेक्टर जंगल कोडाडोंगी B2 प. ए. नं.

60/23 जंगल मंगल लका 02 जंगल रकम 2.775 हेक्टर

जंगल कोडाडोंगी (जंगल) प. ए. नं. 60/23 जंगल लका

जंगल 04 जंगल रकम 3.278 हेक्टर जंगल कोडाडोंगी

जंगल प. ए. नं. 60/23 जंगल मंगल लका 12 जंगल

रकम 3.291 हेक्टर जंगल पल जंगल किना है

जंगल जंगल पल कोडे कोडाडोंगी लका किना है

जंगल जंगल जंगल मंगल मंगल मंगल का

जंगल जंगल जंगल जंगल है

जंगल जंगल पल जंगल की किना किना है

जंगल जंगल

जंगल जंगल जंगल पल जंगल की किना किना है

जंगल जंगल जंगल किना किना किना जंगल

जंगल जंगल जंगल जंगल की रकम जंगल है

5-10-14

इस कार्य को जिस दिन पूरा कर लेनी है
वही दिनांक। उसके उदाहरण दिए गए
हैं। इस लेख को भी व्यवस्थित रूप से
करनी।

1- मेरी इकोनॉमिक्स कोर्स के लिए
राजस्थान विभाग के अधिनियम को
अनुसंधान से बाहर।

2- इसी के अलावा मेरी इकोनॉमिक्स कोर्स के
लिए इस राजस्थान विभाग के अधिनियम को

1- यह कोडिंगनी की-1 का अंक 100
रकम 13.310 हेक्टेयर का क्षेत्र है।

2- यह कोडिंगनी की-2 का अंक 100
रकम 2.775 हेक्टेयर का क्षेत्र है।

3- यह कोडिंगनी इकाई का अंक 100
रकम 3.278 हेक्टेयर का क्षेत्र है।

4- यह कोडिंगनी नामगोली का अंक
12 रकम 3.201 हेक्टेयर का

क्षेत्र है। इस का नाम इसी पर एक अधिनियम
अनुसंधान 200 के अंतर्गत इसी दिने पर

अधीनस्थ गैर आवासीय के अंतर्गत
अधीनस्थ का है इस अंतर्गत का अधिनियम

का है। यह एक ही है। यह एक ही है।
अधीनस्थ अधीनस्थ अधीनस्थ

अधीनस्थ अधीनस्थ अधीनस्थ

अधीनस्थ अधीनस्थ अधीनस्थ

अधीनस्थ अधीनस्थ अधीनस्थ

S-10-14

(26)

विशेष-कार्यक्रम जेग के अंतर्गत 15 1955

का नाम श्री उमा शर्मा ① कोटवाली गांव के

संख्या सं. 63, 73, 150/3 91, 128, 123, 140 2507

का 0.231, 0.217, 0.043, 0.142, 0.815,

1.031, 0.277 का 2507 3.813 हेक्टर ②

कोटवाली इलाके के विगत सं. 14, 20, 25,

20 2507 का 0.231, 0.202, 0.053, 0.243 हे

क्टर 2507 0.725 हेक्टर ③ का कोटवाली गा-

वा के विगत सं. 04 2507 1.174 हेक्टर ④

कोटवाली गा-2 के विगत सं. 05 2507

0.350 हेक्टर 34 का 1955 के अंतर्गत के विगत-

का नाम 17, 42, 117 का 2.141 3507

का 34 1955 का नाम 15 का 1955

का 190 2507 का 1



कार्यालय ग्राम पंचायत, सातनुर

जनपद पंचायत सौंसर, जि. छिन्दवाडा (म.प्र.)

क्रमांक

प्रति




मुनाशी :-

दिनांक 05/10/2014

- ग्राम कोदोगरी के समस्त ग्रामवासियों को सूचित

किमा जाता है, कि दिनांक : 05/10/2014 को श्रावण शाशकीय प्रा. शा
भवत कोदोगरी के समय सुबह : 11:30 बजे प्रति वर्षानुशार
एक वर्ष की ग्राम सभा का आयोजन किया गया है। मत्रः
समस्त ग्रामवासियों से निवेदन है; कि ग्राम सभा में उपस्थित है


ग्राम पंचायत, सातनुर
वि. ख. सौंसर


जनपद
ग्राम पंचायत, सातनुर
वि. ख. सौंसर


ग्राम रोजगार सहायक
सातनुर



कार्यालय ग्राम पंचायत, सातनुर

जनपद पंचायत साँसर, जि. छिन्दवाडा (म.प्र.)

क्रमांक -

दिनांक 15-10-2015

प्रति,


~~रोनिहारिक प्रमाण - पत्र~~

~~प्रमाणित किया जाता है कि मेजर छिन्वाण फल डेवलपर्स लि. द्वारा जिला जेजीप वन संडल छिन्वाण के वन परिसर कन्ट्रोल के अंतर्गत कुल रकबा 34.938 हेक्टेयर छोटे-बड़े झाड़ का जंगल में की जमीन विशेष माथिक जेग रचापना हेतु प्रमाणित की है।~~

~~दिनांक 02-10-14 को ग्राम पंचायत सातनुर द्वारा ग्राम सातनुर खापाडोसवा, बोडाडोंगरी मालगुली बोडाडोंगरी बी-1, बोडाडोंगरी बी-2 एवं बोडाडोंगरी इवासी सं. 34 मरा - 1 नैरेड कुलाई जाक नैरेड में मेजर छिन्वाण फल डेवलपर्स लि. द्वारा कुल रकबा 34.938 हेक्टेयर छोटे-बड़े झाड़ के जंगल में की कुपी का माथेदम प्रस्तुत किया है, इस विषय पर ग्राम वालियों द्वारा चर्चा एवं जानकारी लेक की उक्त प्रमाणित प्रति पर कोई रोनिहारिक स्मार्क/ धार्मिक स्थल, देव स्थान मंदिर, मस्जिद, मरघट या कब्रदान इत्यादि नहीं है।~~

~~प्रमाणित किया जा लय एवं लरी है~~


सरपंच
ग्राम पंचायत, सातनुर
दि 15 सितंबर


सरपंच
ग्राम पंचायत, सातनुर
दि 15 सितंबर

कार्यालय ग्राम सभा सातनूर, जनपद पंचायत सौसर, जिला - छिन्दवाडा मध्यप्रदेश

- ग्राम सभा का सहमति पत्र -

प्रमाणित किया जाता है कि-

1. मेसर्स छिन्दवाडा प्लस डेव्हलपर्स लि. नागपुर की (परियोजना का नाम) "विशेष आर्थिक क्षेत्र" (S.E.Z.) में विकास कार्य किया जाना प्रस्तावित है, मेरे पंचायत क्षेत्र के ग्राम सातनूर, खापाकरीमवार के आरक्षित/संरक्षित वन क्षेत्र के वन खण्ड खापाकरीमवार ABC के कक्ष क्रमांक P 1593, P 1594 में /वन एवं राजस्व वन क्षेत्र के ग्राम - खापाकरीमवार ख.नं. क्रमशः 23, 26, 28, 29, 30, 38, 51, 62, 76, 118, 121, 122, 132 रकबा क्रमशः - 0.202, 0.320, 0.202, 0.316, 0.113, 0.320, 0.312, 0.004, 0.162, 0.275, 0.275, 0.049, 0.129 कुल रकबा - 2.679 हेक्टेयर, सातनूर ख.नं. क्रमशः 56, 59, 61, 84, 87, 123, 131, 136, 137, 138, 139, 145, 265, 293, 310, 316, 334 रकबा क्रमशः - 0.004, 0.162, 0.053, 0.097, 0.004, 0.421, 0.004, 0.004, 0.004, 0.004, 0.004, 0.008, 0.028, 0.004, 0.004, 0.490, 8.330 कुल रकबा 9.625 हेक्टेयर में है, उपरोक्तानुसार ग्रामों का कुल रकबा 12.304 हेक्टेयर है। उक्त वन भूमि के व्यपवर्तन का प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत ग्राम सभा के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुआ है।
2. वन भूमि व्यपवर्तन का प्रस्ताव अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत पात्र वन निवासियों की ग्राम सभा के समक्ष रखा गया है। प्रस्ताव का परीक्षण एवं उस पर चर्चा ग्राम सभा की बैठक दिनांक 02/10/2014 को की गई, जिसमें ग्राम सभा की कोरम की पूर्ति की गई है।
3. ग्राम सभा यह प्रमाणित करती है कि, व्यपवर्तन के लिए आवेदित वन भूमि के सम्पूर्ण क्षेत्र पर अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत समस्त औपचारिकताओं/प्रक्रियाओं का पालन पूर्ण कर लिया गया है। तथा ग्राम सभा ने व्यपवर्तन के प्रस्ताव के विवरण को समझ लिया है।
4. वन भूमि व्यपवर्तन के फलस्वरूप संपादित किये जाने वाले कार्य से पंचायत क्षेत्र के विकास की संभावना है। अतः ग्राम सभा एतद् द्वारा उक्त कार्य पर अपना अभिमत/सहमति व्यक्त करती है।

संलग्न :- ग्रामसभा की बैठक की कार्यवाही विवरण की छायाप्रति ।

दिनांक :- 15-10-14


साथिव
ग्राम पंचायत, सातनूर
दि. नं. सौसर


सदस्य
प्रधान/साथिव
ग्राम पंचायत, सातनूर
हस्ताक्षर नाम, पत्र मुद्रा सहित


टीप :- प्रस्ताव पर यदि ग्राम सभा सहमत हो तभी यह प्रमाण-पत्र जारी किया जाये। यदि ग्राम सभा सहमत नहीं है तो प्रमाण-पत्र न जारी किया जाये।

ग्राम सहा सातगल बांधणी (ओडीसी) रजिस्टर वी सत्य प्रतिलिपी

क्रमांक	उपस्थित पंचा व नाव	विवरण (प्रकार)	वी जी बांधणी का संश्लेषण विवरण	सिमा नावा सिरी	पंचा व हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
02-10 2014	0 श्रीमती ज्योति नागरे (सहकार) ग्राम सहा सातगल व उपस्थित पंचा वना 128 सातगल उपस्थित वी	प्रकार क्र. 178- मेसर्स इकोनॉमिक्स ग्रोन व सिरींग हेम सातगल विभाग व उपस्थित वन उंची वी असापलि देन बांध।	सहा व सत्य मेसर्स इकोनॉमिक्स ग्रोन व सिरींग हेम सातगल विभाग व उपस्थित वन उंची 0-सातगल प. ए. व. 60/23 वी जी संश्लेषण नंबर क्रमांक 58, 59, 61, 84, 87, 123, 131, 131, 137, 138, 139, 145, 215, 233, 310, 311, 334 रचना क्रमांक 0.004, 0.162, 0.053, 0.097, 0.004, 0.421, 0.004, 0.004, 0.004, 0.004 0.004, 0.008, 0.028, 0.004, 0.004, 0.430, 8.330 कुल रचना 3.625 टेक्सेट मर छोटे मास का संगण 0-सातगल सातगलीमवा प. ए. व. 60/23 वी जी संश्लेषण नंबर क्रमांक 23, 26, 28, 29, 30, 31, 51 62, 76, 118, 121, 122, 132 रचना क्रमांक 0.202, 0.320, 0.202, 0.316 0.113, 0.320, 0.312, 0.004, 0.162, 0.215, 0.215, 0.043, 0.129 कुल रचना 2.679 टेक्सेट मर छोटे मास का संगण एक गांधी का कुल रचना 12.304 टेक्सेट मर है एक गांधी व संश्लेषण व सहा सातगल विभाग - विकसित किया गया लक्ष्यनाम सहा सातगल एक बांध हेम सातगल वी गांधी है	सर्व सहकारि व पारित	

सत्य प्रतिलिपी


गांधी
ग्राम पंचायत सातगल
वे. प्र. विभाग


गांधी
ग्राम पंचायत सातगल
वे. प्र. विभाग



प्र० क० 14 - शासकीय एवं शासन के अंतर्गत प्रायः
 प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तरों के विद्यार्थियों
 को शिक्षा प्रदान करने हेतु. प्रेरित करना
 व सहाय्य प्रदान करना।

निर्णय - इस के अंतर्गत सहाय्य प्रदान करना
 सभी के लिए एवं प्रत्येक को शिक्षा के
 माध्यम व साधनों द्वारा करना है।
 इस को शासकीय ही नहीं।

प्र० क० 15 - स्वच्छता आदेश न० 1937।

निर्णय - इस के अंतर्गत स्वच्छता के अर्थों में
 आदेश निर्धारित नहीं एवं स्वच्छता के
 लक्ष्य को शासकीय ही नहीं।

प्र० क० 16 - पानी देकर की दिव्य निर्धारण करने
 कायदा।

निर्णय - इस के अंतर्गत पानी देकर की दिव्य
 निर्धारण के लक्ष्य के विचार-विचार कि
 माना लक्ष्य प्राप्त करना आसानी से हो
 सके तथा ही यदि सही कार्य दिखने आस
 पानी की कमी को जल्दी उभरने आस कि
 नो देकर का इस एवं कार्य की व्यवस्था
 एवं ही रहेगी।

प्र० क० 17 - मेरिल इकोनॉमिक इन्डोस्ट्री के निर्माण हेतु
 राजस्व विकास के अर्थों में सभी को
 अनुपयुक्त होने कायदा।

निर्णय - इस के अंतर्गत मेरिल इकोनॉमिक इन्डोस्ट्री के
 निर्माण हेतु राजस्व विकास के अर्थों में सभी को
 अनुपयुक्त प. ए. नं. 60/23 के अंतर्गत नंबर
 क्रमा 56, 53, 61, 84, 87, 123, 131, 132, 137, 138,
 139, 145, 265, 253, 310, 316, 324, 284 क्रमांक -



0-004, 0-162, 0-053, 0-057, 0-004, 0-421,
 0-004, 0-004, 0-004, 0-004, 0-004, 0-008
 0-028, 0-004, 0-004, 0-450, 8-330 कुल
 रकम 9-625 हेक्टेयर नस छोटे आस का अंतर्गत
 ① आस आयातारिकाल प. ए. नं. 60/23 के अंतर्गत नंबर
 क्रमांक क्रमांक: 23, 26, 28, 29, 30, 38, 51, 62, 76, 118,
 121, 122, 132 रकम क्रमांक- 0-202, 0-322, 0-202,
 0-316, 0-113, 0-320, 0-312, 0-004, 0-162, 0-275,
 0-275, 0-043, 0-123 कुल रकम 2-673 हेक्टेयर
 नस छोटे आस का अंतर्गत प्रक आस का कुल
 रकम 12-304 हेक्टेयर है प्रक आसों के
 लक्ष्य के अंतर्गत आस विचार-विचार कि
 लक्ष्य प्राप्त करना आस एवं कार्य हेतु लक्ष्य
 ही नहीं है।

प्र० क० 18 - टेरिटरियल प्रशासन पत्र देने कायदा।

निर्णय - इस के अंतर्गत मेरिल इकोनॉमिक इन्डोस्ट्री के
 निर्माण हेतु राजस्व विकास के अर्थों में सभी को
 अनुपयुक्त प. ए. नं. 60/23 के अंतर्गत नंबर
 क्रमांक क्रमांक: 56, 53, 61, 84, 87, 123, 131, 132, 137, 138,
 139, 145, 265, 253, 310, 316, 324, 284 क्रमांक -
 0-004, 0-162, 0-053, 0-057, 0-004, 0-421,
 0-004, 0-004, 0-004, 0-004, 0-004, 0-008
 0-028, 0-004, 0-004, 0-450, 8-330 कुल
 रकम 9-625 हेक्टेयर नस छोटे आस का अंतर्गत
 ① आस आयातारिकाल प. ए. नं. 60/23 के अंतर्गत नंबर
 क्रमांक क्रमांक: 23, 26, 28, 29, 30, 38, 51, 62, 76, 118,
 121, 122, 132 रकम क्रमांक- 0-202, 0-322, 0-202,
 0-316, 0-113, 0-320, 0-312, 0-004, 0-162, 0-275,
 0-275, 0-043, 0-123 कुल रकम 2-673 हेक्टेयर
 नस छोटे आस का अंतर्गत प्रक आस का कुल
 रकम 12-304 हेक्टेयर है प्रक आसों के
 लक्ष्य के अंतर्गत आस विचार-विचार कि
 लक्ष्य प्राप्त करना आस एवं कार्य हेतु लक्ष्य
 ही नहीं है।

राज्य प्रशासन
 महोदय
 सामुदायिक सचिव
 श्री ३३ अंतर्गत

2-10-14

✓ 06

प्र. क्र. 22 - शिव संसि लाल के विषय
विशेष काठ कायदा

विषय - लका के लक्ष्मण गज लाल के विषय -
संसि के लाल परासी पर शिव संसि
का पुता है महा पर लका के पुता -
लक्ष्मण देव लाल - लाल परासी से उक्त संसि
पर 500 रुट लका 119 20 रुट लोदी लस
विशेष है वन विभाग की लक्ष्मण देव पर
उत्पाद के लक्ष्मण

प्र. क्र. 23 - मेहरि इकोनॉमिस्ट इनो के विषय देव
राजस्व विकास के लक्ष्मण वन उरी वि
कलापति के कायदा

विषय - लका के लक्ष्मण मेहरि इकोनॉमिस्ट इनो के
विशेष देव राजस्व विकास के लक्ष्मण वन उरी
उक्त लाल से लक्ष्मण 17 कुम लका 9.625
हेक्टेयर का - छोटे उक्त का लक्ष्मण गज लाल परासी
से लक्ष्मण लक्ष्मण 13 कुम लका 2.675 हेक्टेयर का
छोटे उक्त का लक्ष्मण उक्त उक्त पर वन लक्ष्मण
लक्ष्मण 2006 के लक्ष्मण उरी लक्ष्मण पर लक्ष्मण
के लक्ष्मण के लक्ष्मण लक्ष्मण लक्ष्मण देव
लक्ष्मण लक्ष्मण का लक्ष्मण का लक्ष्मण लक्ष्मण
का लक्ष्मण लक्ष्मण के लक्ष्मण लक्ष्मण लक्ष्मण
लक्ष्मण - लक्ष्मण लक्ष्मण लक्ष्मण के लक्ष्मण लक्ष्मण

प्र. क्र. 24 - ले-लूस के देव वोरंगी के राक्षी कायदा
का कायदा

विषय - लका के लक्ष्मण गज लाल के I.A.P.
लक्ष्मण लक्ष्मण लक्ष्मण लक्ष्मण लक्ष्मण
लक्ष्मण लक्ष्मण लक्ष्मण लक्ष्मण लक्ष्मण
लक्ष्मण लक्ष्मण लक्ष्मण लक्ष्मण लक्ष्मण

2-10-14

कलक एडि. पी.पी. आरि. वेड रेगुल कोरिंग
पाना को 3214917659 में निम्न गुण
रानी आरि. कलक पी रिक्वा 53
साहि हो

① मगवरी वेडींग डेसिडेरत - 2000 L
पिपका गो वा

प्र. का 25 - चिन्ताग पाना वा प्रकाशित
निर्णय कार्य के सम्बन्ध में

निर्णय - एका के एका चिन्ताग पाना वा
प्रकाशित निर्णय कार्य एक पाना
(आवासी) में एकाका 500 मिल 500
में निर्णय कार्य हो के सम्बन्ध में
विचार-विमर्श विना गान लड़वमान
एका हाथ एक निर्णय विना गान
चिन्ताग पाना वा प्रकाशित निर्णय कार्य
आवासी में 500 मिल 500 विना गान
एक प्रकाश सम्बंधित विमर्श को को साक्ष

प्र. का 26 - जिस मंडिल एक आवासीयवा 5
सम्बन्ध में।

निर्णय - एका के एका एक आवासीयवा
प.ए.नं. 60/23 में सम्बन्ध नं. 135/11 135/11
में जिस मंडिल एकाका 100 वर प्रकाश
एका उगा हो एका हाथ एक सम्बन्ध
में चारिन।

प्र. का 27 - मसिक प्रकाश कलक का 9।

निर्णय - एका के एका सम्बन्ध लकीरिंग - कोरिंग
का सम्बन्धित पत्र का 9/50 नं. 12/10 कोरिंग
12-05-14 का एका एका पत्र नं. एका 3000

2-10-14

v. 07

विशेष काष्ठिक जंग के अंतर्गत मस 2755
 रास्ता की उमी गौन ① उमर लागल के विचार
 अं. नं. 81, 122, 140, 141, 311, रस्ता फसल - 0.253
 0.551, 1.177, 1.267, 0.148 कुल रस्ता 3.420 हेक्टर
 ② उमर सायादरीमाल के विचार अं. नं. 22, 34, 52, 65, 70
 84, 136 रस्ता फसल - 0.214, 0.089, 1.003, 0.353,
 0.105, 0.259, 0.705, 0.705 हेक्टर कुल रस्ता 2.729
 हे. उमी काष्ठिक के लम्बे के विचार. विचार विचार
 मस 2755 रास्ता मस सायादरीमाल हे. यरौमक रस्ता सायादरीमाल

उमर 28 - मोर उमी काष्ठिक मस रस्ता परियोजना काष्ठिक

विचार - मस 2 मस मोर उमी काष्ठिक 57.211
 उमी लागल के उमी मस उमी रस्ता
 मस उमी लागल के लम्बे उमी

मस

मस

मस

- ① ग्राम विकास का नाम : सादपुर
- ② ग्राम सभा का नाम : सादपुर
- ③ तारीख : ०२/१०/२०१६
- ④ समित्तन का स्थान : सादपुर ग्राम, सादपुर
- ⑤ समित्तन का समय : ११.३० बजे

प्राथमिक उपस्थित सदस्यों के नाम उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर

(+) १. ज्योती तिवारी (उपप्राथमिक अध्यक्ष)

श्री. ज्योती तिवारी

२. मानवी मानवी

उपस्थित सादपुर

३. इतिहास मानवी

श्री. इतिहास

४. ज्योती तिवारी



५. सादपुर ३३५

श्री. सादपुर

६. २२०१ मानवी

श्री. सादपुर

७. मानवी सादपुर

श्री. सादपुर


८. मानवी

श्री. सादपुर

2-10-14

(31)

(9)	उमेश अमरनाथ	अमरा
(10)	सुरेश लाल	अमरा
(11)	अमरनाथ मंगरु	अमरा
(12)	विशाल अमरनाथ	अमरा
(13)	अमरनाथ अमरनाथ	अमरा
(14)	अमरनाथ अमरनाथ	अमरा
(15)	अमरनाथ अमरनाथ	अमरा
(16)	अमरनाथ अमरनाथ	अमरा
(17)	अमरनाथ अमरनाथ	अमरा
(18)	अमरनाथ अमरनाथ	अमरा
(19)	अमरनाथ अमरनाथ	अमरा
(20)	अमरनाथ अमरनाथ	अमरा
(21)	अमरनाथ अमरनाथ	अमरा



सत्य प्रतिलिपि

2-10-14

(22)	लीलादीर मायक करे	...
(23)	मोगरा बंजारी	...
(24)	रामदास येड	...
(25)	बेबी ओर	...
(26)	गिरम बेरुडे पाकुंग येड	...
(27)
(28)	उमरु सिप	...
(29)	लक्षण चि सु	...
(30)	चिंतामण देड	...
(31)	मधुलदी जोडलाल	...
(32)	अलम उड	...
(33)	लाराचउड रामकुळा येड	...
(34)	दिलीप जोडलाल	...

सत्य प्रसिलिपि

...

2010/14

(32)

(35) आकाश मारिता लाधिव

31/10/14

(36) दामोदर गोडबोले

दामोदर

(37) निमरोज कुमलकर

निमरोज

(38) अमोल अडेक

अमोल

(39) कामला परतेगा

कामला

(40) इर प्रमिला परतेगा

प्रमिला परतेगा

(41) प्रविण धनवडे

प्रविण धनवडे

(42) महेश गोडबोले

महेश

(43) विजयपाल गोडबोले

विजयपाल

(44) बालकृष्ण गोडबोले

 20/10/14

(45) रेखा गोडबोले

रेखा गोडबोले

(46) धनंजय बनारे

~~धनंजय~~


(47) सुभाष कामरे

P.p. Kamare

(48) प्रशंका कामरे

प्रशंका

(49) सुभाषा बनारे

 सुभाषा

(50) कमला गोडबोले

कमला गोडबोले

प्रतिलिपि

2-10-14

51	इंद्र प्रसाद	इंद्र प्रसाद
52	शुशीला निजल	
53	विजय कर्मा	विजय
54	शामरावजी मिरसा	शामराव
55	देविदास मानकर	देविदास
56	जलेश बिंद	R. S. S. S.
57	नदा गोडबाल	नदा गोडबाल
58	प्रतिभा शिवाजी	प्रतिभा शिवाजी
59	विनाय देव	
60	किरनकिंग व कलिया	किरनकिंग
61.	विनया प्रधापती	विनीयाकर्द
62.	गंगाबाई डहा	
63	सुखी पटीलिया	सुखी
64.	विजय मिरसा	विजय

सत्य प्रतिलिपि

सचिव
गाय पंचायत, सात
वि. नं. सात

2-10-14

(33)

65	सयालक भोग	सयालक
66	कुमार प्रजापति	कुमार
67	विनोद दुर्वे	विनोद
68	अरुण चैत	अरुण
69	दिलीप मेहता	दिलीप
70	निलिप गोडबोले	Godbole
71	विनोद रायग	विनोद
72	उरमा देकर	उरमा
73	पंडु लवल	पंडु
74	पमिल देकर	पमिल
75	दिलीप गोडबोले	दिलीप गोडबोले
76	मेहता कंगे	मेहता
77	जगदीश च. अरुण	जगदीश

सत्य प्रतिलिपि

साक्षर
सत्य - साक्षर

2014

(34)

हरियाणा -

(92)

कमल लंगडे

~~कमल लंगडे~~

(93)

सुमिता दुर्वे

सुमिता दुर्वे

(94)

सु सुलोचना दुर्वे

सुलोचना दुर्वे

(95)

लालचंद यादव

लाल

लालचंद यादव

(96)

चंद्रबाई यादव

चंद्रबाई

(97)

इंद्रकुमार

Indrakumar

(98)

उमेश दुग्गल

उमेश दुग्गल

(99)

रेखा शेरके

रेखा शेरके

100

किरण शेरके

K. Sherke

101

निलिमा शेरके

N. Sherke

102

अनिल शिल्लु

Anil shillu

103

अरकिला शिल्लु

अरकिला शिल्लु

104

पानवती शिल्लु

पानवती शिल्लु

(105)

अशोक चोपड़ा

अशोक चोपड़ा

सत्य प्रतिलिपि

3/10/14

2-10-14

समाप्त

70 सुवर्णा कुर्व

सुवर्णा


86 कनिना कुर्व

कनिना कुर्व

81 गिरा कनेर

गिरा

82 अजय यादव



83 सिद्धार्थ डोगर

84 ज्योति गोडबोले

ज्योति गोडबोले

85 प्रभाकर गोडबोले

प्रभाकर
गोडबोले

86 सुबार्थ शरार

87 अक्षय सुबार्थ

अक्षय

88 शिखर वव

शिखर

89 सुरेश निळगुळ

सुरेश

90 सुनील बोडे



91 पुसासम ~~बोडे~~
कल्पना लाड

कल्पना लाड

सत्य प्रतिलिपि

साक्षर

गांधी पंचायत सातना
दि. नं. २०१४

2-10-14

- | | | |
|-------|------------------|--------------------|
| (106) | शिवाजी चांदेकर | S. N. C. Chandekar |
| (107) | शशिचन चांदेकर | S. S. Chandekar |
| (108) | प्रियंका चांदेकर | Chandekar |
| (109) | गुडिया देवी | गुडिया देवी |
| (110) | नाग विडमिसे | नाश विडमिसे |
| (111) | रंजना विडमिसे | रंजना विडमिसे |
| (112) | वेणी डुमने | |
| (113) | उषाबाई डुमने | U. Chavhan |
| (114) | छपरी देगेरे | छपरी देगेरे |
| (115) | केलाश डुमने | केलाश डुमने |
| (116) | इंदुबाई लोहकरे | इंदुबाई लोहकरे |
| (117) | विनोद सिंह | विनोद सिंह |
| (118) | विक्रम सिंह | विक्रम सिंह |

सत्य प्रतिलिपि

साथ
गाम पंचायत, सातना
दि. 20/10/14

2-10-14

(35)

- (119) उवावारी बागेड सा उवा वागेड
- (120) द्युवदेव मित्रा द्युवदेव मित्रा
- (121) ललित पुण्डकर ललित पुण्डकर
- (122) गुंडेरान कामोले गुंडेरान
- (123) रमेश उईके रमेश उईके
- (124) भास्कर रेकोडे भास्कर रेकोडे
- (125) देवमन ठाकरे देवमन ठाकरे
- (126) रेखा गोडवोले रेखा
- (127) लक्ष्मी कशांगळे लक्ष्मी कशांगळे
- (128) प्रज्वल शिंदे प्रज्वल शिंदे

उपरिचय - लक्ष्मी लक्ष्मी 128 (दाऊद का कान्दिप)

दिनांक - 02-10-14

स्थान - लालतूर

सत्य प्रतिलिपि

सचिव
गाव. सातनूर

गाव पंचायत, सातनूर
दि. नं. २०१४



कार्यालय ग्राम पंचायत, सातनुर

जनपद पंचायत सौंसर, जि. छिन्दवाडा (म.प्र.)

क्रमांक


प्रति





सुनारी :-

दिनांक ...०१/१०/२०१५...

ग्राम सातनुरके समस्त ग्रामबासिंधो को सूचित किया जाता है, कि
दिनांक ०२/१०/२०१५ को स्वान कार्यालय ग्राम पंचायत अर्वा सातनुर मे
प्रति वर्षागुस्वार इस वर्ष 'गांधी जयंती' के उपलक्ष्य मे 'ग्राम सभा'
का आयोजन किया गया है। मतः समस्त ग्राम बासिंधो को (मे) पीलवेद
है, कि ग्राम सभा मे उपस्थित होवे। समय सुबह ११:३० बजे।


साधव
ग्राम पंचायत, सातनुर
दि. व्यं. सौंसर


सरपंच
ग्राम पंचायत, सातनुर
दि. व्यं. सौंसर


ग्राम रोजगार सहायक
सातनुर



कार्यालय ग्राम पंचायत, येलकापार

विकास खण्ड सौंसर जि. छिंदवाडा (म.प्र.)

सारपंच

श्री. ताईबाई लक्ष्मण कुरेकार

पत्र नं. ७/पं. (27) 2014

दिनांक 06.10.2014

सुभाष पत्र

सुभाषित किया जाता है कि 'मेसर्स छिंदवाडा प्लस डेव्लपर्स लि' द्वारा दक्षिण क्षेत्रीय वन मंत्रालय छिंदवाडा के वन परिक्षेत्र अन्तर्गत कुल 4.605 हेक्टेयर छोटे वड़े झाड़ का जंगल मद की गरीब "विशेष आर्थिक क्षेत्र" (थापना हेतु प्रस्तावित की है।

दिनांक 03.10.2014 को ग्राम पंचायत येलकापार द्वारा ग्राम कोडीवाडोमा में ग्रामजमा द्वारा मेसर्स छिंदवाडा प्लस डेव्लपर्स लि. द्वारा कुल 4.605 हेक्टेयर छोटे वड़े झाड़ के जंगल मद की जमीन का आवेदन पर चर्चा एवं जानकारी लेकर उक्त प्रस्तावित जमीन पर कोई ऐतिहासिक (मारुत) धार्मिक स्थल/देवस्थान/मंदीर/मस्जिद/भरघर या कब्रस्तान इत्यादी नहीं है।

वास्तव में सुभाषित किया जा सत्य एवं सही है।

सचिव

ग्राम पंचायत येलकापार
नं. ७ सौंसर जि. छिंदवाडा

ग्राम प्रधान
नं. ७ सौंसर जि. छिंदवाडा

कार्यालय ग्राम सभा गोंडीवाढोना जनपद पंचायत सोसर
जिला झिन्डवाड मध्यप्रदेश

— ग्राम सभा का सहमति पत्र —

प्रमाणित किया जाता है कि—

1. मेसर्स छिन्दवाडा प्लस डेव्हलपर्स लि. नागपुर की (परियोजना का नाम) "विशेष आर्थिक क्षेत्र" (S.E.Z.) में विकास कार्य किया जाना प्रस्तावित है, मेरे पंचायत क्षेत्र के ग्राम गोंडीवाढोना के आरक्षित/संरक्षित वन क्षेत्र के वन खण्ड खापाकरीमवार AB के कक्ष क्रमांक P 1594 में / राजस्व वन क्षेत्र के ग्राम — गोंडीवाढोना ख. नं. क्रमशः 296, 297, 298, 299, 320, 326, रकबा क्रमशः — 0.308, 0.619, 0.121, 0.081, 1.473, 2.003, कुल रकबा — 4.605 हेक्टर में है, उक्त वन भूमि के व्यपवर्तन का प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत ग्राम सभा के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुआ है।
2. वन भूमि व्यपवर्तन का प्रस्ताव अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत पात्र वन निवासियों की ग्राम सभा के समक्ष रखा गया है। प्रस्ताव का परीक्षण एवं उस पर चर्चा ग्राम सभा की बैठक दिनांक 03.10.2014 को की गई, जिसमें ग्राम सभा की कोरम की पूर्ति की गई है।
3. ग्राम सभा यह प्रमाणित करती है कि, व्यपवर्तन के लिए आवेदित वन भूमि के सम्पूर्ण क्षेत्र पर अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत समस्त औपचारिकताओं/प्रक्रियाओं का पालन पूर्ण कर लिया गया है। तथा ग्राम सभा ने व्यपवर्तन के प्रस्ताव के विवरण को समझ लिया है।
4. वन भूमि व्यपवर्तन के फलस्वरूप संपादित किये जाने वाले कार्य से पंचायत क्षेत्र के विकास की संभावना है। अतः ग्राम सभा एतद् द्वारा उक्त कार्य पर अपना अभिमत/सहमति व्यक्त करती है।

संलग्न :- ग्रामसभा की बैठक की कार्यवाही विवरण की छायाप्रति ।

दिनांक :-


सर्वेश्वर
प्रधान ग्राम पंचायत एलकापार
सोसर जि. झिन्डवाड नाम ज.प. सोसर जि. झिन्डवाड

टीप :- प्रस्ताव पर यदि ग्राम सभा सहमत हो तभी यह प्रमाण-पत्र जारी किया जाये । यदि ग्राम सभा सहमत नहीं है तो प्रमाण-पत्र न जारी किया जाये ।

1) 25 कपी ले-आदिम
 2) 100 ले-आदिम
 3) 100 ले-आदिम
 4) 100 ले-आदिम
 5) 100 ले-आदिम
 6) 100 ले-आदिम
 7) 100 ले-आदिम
 8) 100 ले-आदिम
 9) 100 ले-आदिम
 10) 100 ले-आदिम

4

Handwritten notes on the left margin.

ग्रामस्था उपस्थिती
ग्राम - गोडीवाणे

03/10/2014

11/5
अध्यक्ष

ग्राम पंचायत एकपापर
ज.प. गोडीवाणे तालुका
सुंदरगाव तालुका

Prasad

प्रतिवे लवले

Prasad

डॉ. नरेश ठाकरे

किशोर शेंडे



सुभाषकुमार

Prasad



वि. व. लवले

Prasad

आकाश लागडे

निहाल वसवार



सिद्धार्थ शेंडे

रमेश

चिरंजिवर ठाकरे
की माते ड. लवले

कुंवरन वसवार

यश्वर म

1) सवित्री ताडकार कुरेडा

2) सुधाकर उईके

3) कुमराज कुरेडा

4) पुविण लवले

5) दिनेश कुरेडा

6) भागेश्वर हाकरे

7) विशोर शेंडे

8) शशी उईके

9) वचनल विहपडे

10) रामरावजी कुरेडा

11) बाजबा धुवे

12) जाजकी गोडवीले

13) वचनल धुवे

14) धर्मपाल लागडे

15) अकाश लागडे

16) नेहाल वसवार

17) सुमीला परलेली

18) सिद्धार्थ शेंडे

19) रमेश गजमिसे

20) चिरंजिवर उईके

21) कविता डारवाणे

22) कुंवरन कवडनी

23) यश्वर लागडे

- (24) कुंडलीक राजभिये
- (25) सुकुडीकाई धुवे
- (26) कासीकाई शेडे
- (27) रविन्द कवडती
- (28) जिजाकाई लागडे
- (29) जोत्पणा शेडे
- (30) शंगीता कवडती
- (31) टिकाराम तांडेकर
- (32) भाऊराव उईके
- (33) गंगाधर धुवे
- (34) विनाश शेडे
- (35) दिनेश उईके
- (36) ईवीरा आतराव
- (37) सुन्दा धुवे
- (38) प्रतीभा इवनाती
- (39) प्रमीला उईके
- (40) सुनिता राजभिये
- (41) पं.प्रभात धुवे
- (42) राजु धुवे
- (43) रामकृष्णा कंगाले
- (44) केशव कंगाले
- (45) कनपना कवडती
- (46) राकेश उईके
- (47) सुशीला आंबाठर
- (48) रामभाऊ उईके
- (49) ईवीरा उईके
- (50) अनिता बागडे
- (51) लता उईके
- (52) कविता तांडेकर

- (K. S. Kulkarni)

रविन्द कवडती
जीजा

संगीताकवडती
विजायत तांडेकर

भाऊराव
गंगाधर धुवे

~~विनाश~~
दिनेश

ईवीरा
सुन्दा

प्रतीभा इवनाती
प्रमीला उईके

सुनिता
पं.प्रभात धुवे

राजु धुवे
रामकृष्णा कंगाले

केशव
कनपना कवडती

(R. S. Kulkarni)

सुशीला आंबाठर

राकेश

अनिता

लता उईके
कविता

- (53) रमेश ठाकरे
- (54) रजुगाना डोगर
- (55) देवकु आनरख
- (56) सुखदेव भोयर
- (57) विवाकर उईके
- (58) राजु धुवे
- (59) शैलेश कुर्णे
- (60) अकशम कागडे
- (61) अश्विन डेवक
- (62) गिराभाई कागडे
- (63) सुमंकेव भोयार
- (64) विजिता डईके
- (65) शरान डईके
- (66) भाव डवरे
- (67) शैल वडे
- (68) शोभा कदसो
- (69) मन्मथ डईके
- (70) शैमा डईके

शरान गेवळ डोरेव (व.र.)
 शरान शरान गेवळ

72

शरान गेवळ
 शरान गेवळ
 शरान गेवळ

शरान गेवळ
 शरान गेवळ

शरान गेवळ
 Sharan G

शरान गेवळ
 शरान गेवळ

शरान गेवळ

कार्यालय - ग्राम पंचायत एलकावार

जनपद पंचायत सौसर, जिला-छिन्दवाड़ा (म.प्र.)

श्रीमती तार्डबाई लक्ष्मण कुरेकार
(सरपंच)

क्रमांक

दिनांक 28/9/2014...

मुतादी सूचना

ग्रामी पंचायत सरपंच एवं ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि गांधी जयंती के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष इस वर्ष भी ग्राम पंचायत मुख्यालय एवं आश्रित ग्रामों में धार्मिक विषयों एवं निर्धारित विषयों पर शासकशासकों के कार्यक्रम निम्नांकित किया गया है।

- ① ग्राम पंचायत भवन परिसर में दिनांक 2-10-2014 को सुबह 10.30 बजे।
- ② प्राथमिक शाला भवन गौडीवाड़े में दिनांक 03-10-2014 को सुबह 10.30 बजे।
- ③ प्राथमिक शाला भवन खारपेठ में दिनांक 04-10-2014 को सुबह 11.00 बजे।

आतः शासकशासकों के उपस्थित रहे।
वास्ते इकाई

सरपंच
ग्राम पंचायत एलकावार
ज.प. सौसर जि. छिन्दवाड़ा

सचिव
ग्राम पंचायत एलकावार
ज.प. सौसर जि. छिन्दवाड़ा



कार्यालय-ग्राम पंचायत, खैरीतायगांव

जनपद पंचायत सीसर, जि. छिन्दवाडा (म.प्र.)



श्री तेजराव शिंदे
सचिव/पंचा.स.अधिकारी

श्री चंद्रशेखर कहाते
सरपंच

क्रमांक

दिनांक 5/10/2014

रेटिफिकेशन प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है की मेसर्स छिन्दवाडा प्लस डेवल्पर्स द्वारा दक्षिण क्षेत्रीय वन मंडल छिन्दवाडा के वन परिदर क्षेत्र कुब्जान के अन्तर्गत कुल रकबा 6.895 हेक्टर छोटे बड़े झाड़ का जंगल मद की जमिन विस्थापन कार्य/स्थापना के प्रस्ताविका निम्नी गयी है।

दिनांक 2/10/2014 को ग्राम पंचायत खैरीतायगांव द्वारा उप गांववासी वाढोला में ग्राम सभा की बैठक बुलाई जाऊँ बंधु में मेसर्स छिन्दवाडा प्लस डेवल्पर्स लि. द्वारा कुल रकबा 6.895 हेक्टेयर छोटे बड़े झाड़ के जंगल मद की जमिन का आवेदन प्रस्ताव किया है इस निष्पत्ति पर ग्राम वासीयो द्वारा थर्च एवम् जानकारी लेऊँ की उक्त प्रस्ताविका अति पर बड़े रेटिफिकेशन स्माक/धर्मिष्ठ अथवा देवे अथान, मस्जिद, मरघट या उचितस्थान इत्यादि नहीं है।

वास्तु प्रमाणित किया जाते वस्य एवम् सबी।

सचिव
ग्राम पंचायत खैरीतायगांव

सरपंच
ग्राम पंचायत खैरीतायगांव

कार्यालय ग्राम सभा गोवारीवाढोना जनपद पंचायत सांसर
जिला झिंदवाड़ा मध्यप्रदेश


- ग्राम सभा का सहमति पत्र -


प्रमाणित किया जाता है कि-

1. मेसर्स छिन्दवाडा प्लस डेव्हलपर्स लि. नागपुर की (परियोजना का नाम) "विशेष आर्थिक क्षेत्र" (S.E.Z.) में विकास कार्य किया जाना प्रस्तावित है, मेरे पंचायत क्षेत्र के ग्राम गोवारीवाढोना के आरक्षित/संरक्षित वन क्षेत्र के वन खण्ड खापाकरीमवार AB के कक्ष क्रमांक P 1594 में / राजस्व वन क्षेत्र के ग्राम - गोवारीवाढोना ख. नं. 391, कुल रकबा 6.895 हेक्टर में है, उक्त वन भूमि के व्यपवर्तन का प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत ग्राम सभा के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुआ है।
2. वन भूमि व्यपवर्तन का प्रस्ताव अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत पात्र वन निवासियों की ग्राम सभा के समक्ष रखा गया है। प्रस्ताव का परीक्षण एवं उस पर चर्चा ग्राम सभा की बैठक दिनांक 2.10.14 को की गई, जिसमें ग्राम सभा की कोरम की पूर्ति की गई है।
3. ग्राम सभा यह प्रमाणित करती है कि, व्यपवर्तन के लिए आवेदित वन भूमि के सम्पूर्ण क्षेत्र पर अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत समस्त औपचारिकताओं/प्रक्रियाओं का पालन पूर्ण कर लिया गया है। तथा ग्राम सभा ने व्यपवर्तन के प्रस्ताव के विवरण को समझ लिया है।
4. वन भूमि व्यपवर्तन के फलस्वरूप संपादित किये जाने वाले कार्य से पंचायत क्षेत्र के विकास की संभावना है। अतः ग्राम सभा एतद् द्वारा उक्त कार्य पर अपना अभिमत/सहमति व्यक्त करती है।

संलग्न :- ग्रामसभा की बैठक की कार्यवाही विवरण की छायाप्रति

दिनांक :-


सचिव
ग्राम पंचायत खैरीतायगांव


सरपंच प्रधान / सचिव
ग्राम पंचायत खैरीतायगांव एवं मुद्रा सहित

टीप :- प्रस्ताव पर यदि ग्राम सभा सहमत हो तभी यह प्रमाण-पत्र जारी किया जाये। यदि ग्राम सभा सहमत नहीं है तो प्रमाण-पत्र न जारी किया जाये।

क्रमांक	उपस्थित पंचों का नाम	प्रस्ताव क्रमांक	कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण	स्वीकृति	प्रोसीडिंग युक्त उर्पा पंचों के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
39	ग्राम सभा सदस्यों की उपस्थिति 39	प्रस्ताव क्रमांक 16 मेसर्स छिन्दवाड़ एलस डेव्हलपर्स लि. मि. नागशंकर ठा. ग्राम गोवारीवाढेजा खसरा नं. 39। खसरा नं. 6-895 हेक्टर भूमि के संबंध में।	यह सभा सर्व समझीये प्रस्ताव परीक्षा करती है की सभा के समक्ष मेसर्स छिन्दवाड़ एलस डेव्हलपर्स लि. मि. नागशंकर द्वारा संपन्न इंडोनामीकु जॉन (एस ई जोड) के निर्माण हेतु राजलन विभाग के आदेश के निम्न लेख खसरा नं. 39। खसरा 6-895 हेक्टर भूमि के संबंध में सभा द्वारा उक्त कार्य हेतु सहमती देती जाती है।		

सचिव
 ग्राम पंचायत खैरीतायगांव

सरपंच
 ग्राम पंचायत खैरीतायगांव

दिनांक	उपस्थित पंचों के नाम	की गई कार्यवाही		प्रस्ताव निर्णय	सर्वत उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर अथवा अंगूठा निशानी
		विवरण	साक्षित कार्यवाही		
1	2	3	4	5	6
		मुजोबाबा नरेश पौधो की देख रेख पर चर्चा	8 दिवसीयों को टाफ दिया गाम में इन दिवसीयों जितने कार्य हैं वे पौधो जिरीत रहेगा।		
		प्रस्ताव उपांड 12 वनाधिदार लक्ष्मीम 2006 के फाउण्डेशन 07 सहायक उपांडों के साजन उपांडों के परिवर्तन करके वे वें दाने/ठमवती से वाह होने प्राप्त करने का रीवाही करण	आज गी उपांडों के वनाधिदार लक्ष्मीम 2006 के अस्तित्व एवं जोकासीम सहायकों 39 सदस्यों 6/8/15 केवल फूटि होरे डाल प्रचलीन फूटि पर कार्यवाही और जोकासी के फूटि पर मानसीम फूटि लेने अल्प हो अल्पमा मा देना वकी अतः इस संकेत के उपांड साजन		
			निर्वाह कार्यवाही होए गाम लक्ष्मीम (दिखती) प्रयोग करती है।		
		प्रस्ताव उपांड 13 शाल्कीम पक्षधामन से अनुदान प्राप्त करने के महामान प्रोजेन नियम	उपांड जोवासे माहिकामे प्रस्तावित नाला के अल्पमा पक्का दिया जा रहा है।		
		प्रस्ताव उपांड 14 ममर्षा लक्ष्मीम लक्ष्मीम शौमावप वनाधे लेने दिवसीयों का चमन वृद्धि कार्य	ममर्षा लक्ष्मीम लक्ष्मीम उपांड के अल्पमा निर्वाह सेवका कार्य चालू है। निर्वाह जाए वित्तशाली वीम पुनः इयका लाभ दिया जावेगा।		
		प्रस्ताव उपांड 15 शाल्कीम शाल्कीम शाल्कीम शाल्कीम शाल्कीम शाल्कीम शाल्कीम	आज गी उपांड साजन से अल्पमा शाल्कीम शाल्कीम शाल्कीम शाल्कीम शाल्कीम काम आशावा अनु उपांड को निर्वाह प्रोजेन का लाभ दिया जावेगा।		

दिनांक	उपस्थित पंचों के नाम	की गई कार्यवाही		परस्ताव निर्णय	सरपंच उपसरपंच सदस्यों के हस्ताक्षर अथवा अंगूठा निशानी
		विवरण	संज्ञित कार्यवाही		
2/10/14			आज दिनांक 2/10/14 को ठीक 5.00 बजे आशुकिशोर शर्मा अर्जुन जोशी वि.वा.दे.गाँ की कार्यवाही में ग्राम सभा का आयोजन किया गया जिसमें शाशन द्वारा आज 12:00 बजे तक का निर्णय हुआ है।		
	प्रस्ताव क्रमांक 01	कृषि एवं पशु चिकित्सा विभाग - 01 निवास केन्द्र में	आज की रात 12:00 बजे तक का निर्णय हुआ है कि ग्राम सभा के निर्णय पर पशु चिकित्सा विभाग में 12:00 बजे तक का निर्णय हुआ है।		
		किसे बसे निर्णय का परवाना पत्रवेदन करवा			
	प्रस्ताव क्रमांक 02	ग्राम सभा का कृषि विभाग	आज की रात 12:00 बजे तक का निर्णय हुआ है कि ग्राम सभा के निर्णय पर पशु चिकित्सा विभाग में 12:00 बजे तक का निर्णय हुआ है।		
	प्रस्ताव क्रमांक 03	ग्राम सभा के निर्णय	आज की रात 12:00 बजे तक का निर्णय हुआ है कि ग्राम सभा के निर्णय पर पशु चिकित्सा विभाग में 12:00 बजे तक का निर्णय हुआ है।		
	प्रस्ताव क्रमांक 04	ग्राम सभा के निर्णय	आज की रात 12:00 बजे तक का निर्णय हुआ है कि ग्राम सभा के निर्णय पर पशु चिकित्सा विभाग में 12:00 बजे तक का निर्णय हुआ है।		
	प्रस्ताव क्रमांक 05	ग्राम सभा के निर्णय	आज की रात 12:00 बजे तक का निर्णय हुआ है कि ग्राम सभा के निर्णय पर पशु चिकित्सा विभाग में 12:00 बजे तक का निर्णय हुआ है।		

ग्राम सभा गावारी वाढीला उपस्थिती

दिनांक: 2/10/2014

समय: 3.00 वाज

VIJAYANT

PAGE NO.:

DATE:

सद्य

क्रमांक	ग्रामसभा सदस्यांचे नाव	पद	हस्ताक्षर
01	अशोकबाई काठार	सदस्य	
02	लेखराज शिंदे	सदस्य	
03	श्रीमती लक्ष्मीला स्वामकुंवर	नेडल मंडळ	
04	श्रीमती सुलोचनाबाई डरनाडे	उपसरपंच	
05	" ज्योति देशभार	सद्य-मध्या.	
06	" सुनिता डाटाट	सद्य-मध्या.	
07	श्रीमान सुधाकर गोल्माईत		
08	" धनराज नारनवसे		
09	" दिलीप मासुरकर		
10	" मिमराव सोमकुंवर		
11	" सुब्बाशिराम पाटील		
12	" सुधाकर पगारे		
13	" मनीराम वांगडे		
14	" कवडु गजभिये		
15	" गुरुदेव कवडेवी		
16	" श्री रतीशजी जाधव	पंच	
17	" श्रीमती संगिता गोडबोले	पंच	
18	" श्री- पुनीलाल मुंतागे		
19	" श्री- चंद्रजी राठुव		
20	" श्री- मंगेश चौधरी		
21	श्रीमती उकावती मासुरकर	3	
22	श्री- गंगाधर पाटील		
24	जितेन्द्र पाटील		
25	श्रीमती बेबीबाई गजभिये		
26	श्रीमती शशिदला पाटील	भाग-सहा.	
27	श्रीमती उषाबाई वांगडे	भाग-कार्य	

VISITANT
 NAME: _____
 DATE: _____ 123

क्रमांक	नाम	पद	हस्ताक्षर
28	श्रीमती - रमाबाई कागडे	आशा कार्य	श्री. रमा कागडे
29	श्रीमती - यशोधराबाई गोलाईने	—	यशोधरा
30	श्रीमती - येनुबाई पगारे	—	येनुबाई पगारे
31	श्रीमती - विठाबाई पगारे	—	विठाबाई
32	श्रीमती - शांताबाई पाटील	—	
33	श्रीमती - अरुबाई कागडे	—	अरु
34	श्रीमती - इंदुबाई पाटील	—	इंदुबाई
35	श्रीमती - रमाबाई पगारे	—	रमाबाई पगारे
36	श्रीमती - संजुमाला गोडबोले	—	संजुमाला गोडबोले
37	श्रीमती - बेबीबाई पाटील	—	बेबी पाटील
38	श्रीमती - रमाबाई भुतांगे	—	रमाबाई भुतांगे
39	श्री. सुनील पाटील	—	सुनील

AGP
 सचिव

ग्रामपंचायत खेरीतायगाव

सुची

२३.१.२०१५


सभी ग्रामवासियों को सुचीय किया जा रहा है।
आसन के आदेशानुसार ये आनेवाले गाँवों में

के उपरान्त में ग्रामसभा का आयोजन किया
02/10/2014 समय 12:00 बजे स्थान लखार
पैकी लखार में रखा गया है। उमीदवार दिनांक
04/10/2014 के दिन अगुवार को कुली द्वारा

समय का आयोजन स्थान लखार लीड रैंग
लखार में रखा गया है। ग्राम आसनों का
आरंभिक अगुवार है।

ग्राम लखार पिपला में आयोजन दिनांक 03/10/2014
समय 12:00 बजे दिन बुधवार को स्थान लखार
आसन आयोजन लखार पिपला में

ग्राम गोगरी बाहोरा में आयोजन दिनांक 04/10/2014
के दिन बुधवार समय 12:00 बजे लखार
आसनों का आयोजन गोगरी बाहोरा


सरपंच

ग्राम पंचायत खैरीतायगांव



सचिव
ग्राम पंचायत खैरीतायगांव

F. No. 8-04/2016-FC
Government of India
Ministry of Environment, Forests and Climate Change
(F.C. Division)

Indira Paryavaran Bhawan,
Jor bagh Aliganj Road,
New Delhi – 110003.

Dated: 24th May, 2018.

To

The Principal Secretary (Forests),
Government of Gujarat,
Gandhi Nagar.

Sub: Diversion of 1576.81 ha of Reserved forest land for the development of Special Economic Zone and Industrial Park at Village - Siracha, Navinal, Dhrub, Mundra, Baroi, Gorasama, Luni, Bhadreshwar, Ta. Mundra, Dist. Kutch in favour of Adnai Group, Mundra Port and Special Economic Zone Ltd., Ahmedabad.


Sir,

I am directed to refer to the State Government's letters no. FCA-1014/10-11/14/S.F-66/F dated 21.01.2016 in connection with the above subject proposal seeking prior approval of the Central Government under Section 2(ii) of the Forest (Conservation) Act, 1980. The said proposal was placed before Forest Advisory committee (FAC) at last in its meeting held on 25.01.2018. The detailed minutes of the FAC meetings are placed on the website of this Ministry: www.forestclearance.nic.in.

2. The FAC in its meeting held on 25.01.2018 observed that from the documents examined by the FAC it is learnt that the Mundra special economic zone is proposed to set up with self-contained facilities like Industrial park complex, distribution centre, commercial complexes, Housing complexes, utilities like water supply, drainage, roads, lighting, social infrastructure like school, colleges, hospitals, townships, open air theatre, recreation centre, cinema hall, amusement park etc and provision for air field, helipad, railway station, roads (SH & N.H) etc. over total area. The User Agency has now agreed to change the land use of forest land as informed by State Govt. vide its letter dated 01-12-2017.

FAC deliberated on the fact that establishment of port based SEZ is necessary for the development of the country. On analysis through DSS it is observed that most of the forest area and revenue areas are under non-forestry use and some patches of forest areas are available inside SEZ. In view of the clarification submitted by the State Government vide letter dated 01-12-2017, **FAC recommends the grant of In-principle approval for the diversion of 1552.81 ha (1576.81-24 ha) of forest land subject to general, standard and following specific conditions:**

- i The Nodal officer, FCA had recommended in 2010 that though the user agency has submitted proposal for diversion of 1576.81 ha of forest land for the purpose of developing SEZ only 1552.81 ha area may be diverted excluding 24 ha in Dhrub RF, subject to specific conditions. It was recommended that the user agency shall provide right of way of not less than 8 mts width for 24 ha which has been excluded from the proposal of the user agency. The details of settlement of rights shall be provided.



24-5-18

- ii The diverted forest land measuring 1552.81 ha. shall be maintained as green area within the APSEZ and the diversion for non-forestry purpose will be considered only on case to case basis by the ministry for the purpose required for SEZ.
- iii Diverted forest land shall not be proposed to be utilized for Golf Course, Beach Resort, Park or Residential purposes, or any other activity prohibited by FCA 1980 and/or guidelines there under
- iv From the DSS analysis it is observed that Aerodrome already exists in the zone. The diverted forest land will not be proposed for the construction of private Aerodrome as demanded by the use agency. The forest land may be considered, in future on merits, in case of commercial Airport is developed with the approval of DGCA.
- v The detailed existing land use with maps of all forest land 2008.41 ha (1840ha + 168.41 ha) for which the approval was granted vide 30.09.2009 and details of complete land use including forest land for the existing private Aerodrome and power plants within the SEZ may be provided.
- vi 100 meter wide green shelter belt along the sea coast except in the waterfront area shall be included in the Master Plan of APSEZ.
- vii Complete compliance of CRZ regulations shall be ensured.
- viii All the conditions as recommended by the Chief Wildlife Warden shall be complied with the User Agency.
- ix The Compensatory Afforestation land shall be surveyed at the cost of User Agency and erect pillars and barbed wire fencing or trench under the consultation of CCF, Kutch Circle.
- x Compensatory afforestation shall be raised over identified non -forest land equivalent to the diverted forest land diverted and at least 1000 plants per hectare (1552.81 hectares x 1000 = 1552810 plants) shall be planted with provision for ten years on subsequent maintenance.
- xi 25% of revised CA cost will be deposited extra by the user agency for soil and moisture conservation (SMC) activities on the CA land.
- xii Complete compliance of Forest Right Act 2006 to be done for the 1576.81 ha of forest land by the State Government.
- xiii To provide protection to the existing wildlife a patch of natural forest in Luni to Harmiramora village shall be kept as green belt without carrying out any activities in that area as recommended by the CCF Kutch Circle vide letter dated 15.5.2014 to PCCF Wildlife Gujarat. The recommendation of the Chief wildlife warden Gujarat sent vide No WLP/663/32/B/1778-79/2014 dated 30.5.2014 must be complied.
- xiv The State Government will inform about the status of the land measuring 122 ha in village Jarapara and 683 ha of land belonging to GMB has been transferred to APSEZL. This area need to be deducted from the proposed forest land diversion as recommended by the State Government.
- xv State government will provide the terms and conditions on which the forest is proposed to be transferred on lease to the use agency The detail of lease period, terms, conditions and consideration, if any, may be provided.

xvi All other conditions imposed in the approval granted for diversion of 2008.41 ha (1840ha + 168.41 ha) forest land on 30.09.2009 shall be complied.

3. The project proponent has given a representation vide their letter dated 08.01.2018 which has been received in the Ministry on 13.03.2018 requesting for deletion/ amending of specific conditions imposed by FAC. A copy of the said representation is annexed.

4. With the approval of competent authority, it has been decided by this Ministry to examine the representation of user agency by the State Govt. before taking any further action on the instant proposal. The point wise comments of state government along with specific recommendation is solicited for final decision.

Encl.: As above.

Yours faithfully,


(Sandeep Sharma) 24.5.18

Assistant Inspector General of Forests

Copy to:

- 1) The Principal Chief Conservator of Forests, Government of Gujarat, Gandhi Nagar.
- 2) The Addl. PCCF (Central), Regional Office, Bhopal, MoEF.
- 3) The Nodal Officer, O/o the PCCF, Government of Government of Gujarat, Gandhi Nagar.
- 4) The User Agency.
- 5) Monitoring Cell, FC Division, MoEF.
- 6) Guard File.


(Sandeep Sharma) 24.5.18

Assistant Inspector General of Forests

adani™



Annexure -

Director General of Forests
Dy. No. 15178.4
Date: 13/03/18

Date: 08/01/2018

1152

To,
Director General of Forests & Special Secretary
Forest Advisory Committee
MoEF, Govt. of India,
Paryavaran Bhavan, New Delhi.

Sub: Diversion of 1576Ha Forest Land of various projects for Adani Ports & SEZ Ltd., at Mundra.

Ref: 1) Agenda No. 3 - 8-04/2016-FC of Minutes of meeting of forest Advisory Committee held on 25/01/2018

Dear Sir,

15/3/18

11-see
IG (FC)
12/02/18

202 2.16/13
AIG (SS) ~~AS~~ ~~Committee~~ ~~through~~ ~~State~~ ~~Govt~~

With reference to the above subject, we like to put to your kind attention that our proposal was considered by FAC meeting held on 25.1.2018 in which details available on Record were also considered together by your good office and issued Agenda No.3 referred in captioned above. We hereby like to submit certain details and justification on Specific Conditions made applicable to our proposal by your good office.

The specific conditions put forward in the said Agenda and justification in response is given hereunder in details.

Conditions No.(i) The Nodal officer, FCA had recommended in 2010 that though the user agency has submitted proposal for diversion of 1576 ha of forest land for the purpose of developing SEZ only 1552.41 area may be diverted excluding 24 ha in Dhrub RF, subject to specific conditions. It was recommended that the user agency shall provide right of way of not less than 8mts width for 24 ha which has been excluded from the proposal of the user agency. The details of settlement of rights shall be provided.

Justification: APSEZ had submitted proposal for diversion of 1576.81ha in 2004, which includes Dhrub RF area admeasuring 89.52ha (pocket no-05). Later in 2009, six applicants have demanded 4 ha each for warehousing and storage as part of same land making it total of 24 ha. Against their application, the Nodal officer had raised queries to applicants on their proposal of 24 ha during 2014 & 2015, but no response was received from any applicant. Based on the fact, Nodal officer has finally considered total area of 89.52 ha in Dhrub RF for diversion to APSEZL as per its application and recommended against

21/3
MAB

OIGF (FC)
Dy. No. 15178/18
Date: 16/03/18

A-15178/18
20/3/18

55/01/14
13/16

APSEZ proposal on 21st Jan 2016. Hence, there is neither pending request from any user nor requirement of any right of way, and accordingly the **APSEZL proposal for diversion of 1576.81 ha forest land is required to be considered in totality without deduction of 24ha.**

Therefore it is requested to amend the said condition accordingly.

Conditions No.(ii) The diverted forest land measuring 1552.81ha shall be maintained as green area within the APSEZ and the diversion for non-forestry purpose will be considered only on case to case basis by the ministry for the purpose required for SEZ.

Justification: Diversion of 1576.81ha of forest land is proposed for various industrial activities. Pocket wise land use plan as per FCA, 1980 guidelines were submitted to CCF, Kutch & Nodal officer, which has been clearly mentioned in the Agenda no-03, F.No. 8-04/2016-FC at pg no 19 & 20 under point no 16 sr i and ii of Minutes of Meeting of Forest Advisory Committee held on 25th January 2018. SEZ is being define as area nomenclature by the Ministry for setting up an industrial infrastructure and facilities which has been already classified in detail.

Detail Land use for 1576 Ha has been submitted with proposal is attached once again for ready ref,

Hence the condition of 'the diverted forest land measuring 1576.81 ha shall be maintained as green area....' is required to be modified as "the diverted forest land measuring 1576.81 ha shall be utilized for various industrial activities / purposes as per FCA, 1980 guidelines.'

Conditions No.(iii) Diverted forest land shall not be proposed to be utilized for Golf Course, Beach Resort, Park or Residential purposes, or any other activity prohibited by FCA 1980 and/or guidelines there under

Justification: Noted

Contd..3/-

Conditions No.(iv) From the DSS analysis it is observed that Aerodrome already exists in the zone. The diverted forest land will not be proposed for the construction of private Aerodrome as demanded by the use agency. The forest land may be considered, in future on merits, in case of commercial Airport is developed with the approval of DGCA.

Justification: Existing Aerodrome in the SEZ consist of runway strip with 2000mt length. As per DGCA guidelines, to handle various cargos and big size of air planes it requires runway strip to expand up to 4000mt length along with ancillaries , aviation related industries and other necessary facilities. Hence utilization of diverted forest land is crucial for expansion of existing aerodrome facilities even before the development of Commercial Airport.

Adani group company Mundra International Airport Pvt Ltd is going to develop this airport .

The TOR dtd 4th May 2016 issued by MoEF and Aerodrome License-Public use dtd 16th Feb 2018 issued by DGCA , GOI is attached herewith for your ready ref which is the authority in the country for civil aviation activities hence it is not a Private airport but a airport under **PUBLIC USE CATAGORY** duly approved by DGCA.

Therefore the statement of MOM i.e. '**diverted forest land will not be proposed for the construction of private Aerodrome**' needs to be deleted as user agency has not proposed for development of private Aerodrome but it is for development of **Public use category Aerodrome** duly approved by DGCA.

Conditions No.(v) The detailed existing land use with maps of all forest land 2008.41ha (1840ha + 168.41ha) for which the approval was granted vide 30.09.2009 and details of complete land use including forest land for the existing private Aerodrome and power plants within the SEZ may be provided.

Justification: NO FOREST LAND IS USED FOR EXISTING AERODROME AND POWER PLANT. PI find enclosed maps for land use Plan for 2008.41ha , existing private Aerodrome and power plants within the SEZ which clearly show that forest land is not used for existing Aerodrome and power plant.

Contd.,4/-

Conditions No.(vi) 100 meter wide green shelter belt along the sea coast except in the waterfront area shall be included in the Master Plan of APSEZ.

Justification: Some part of the proposed diversion of 1576.81 ha of forest land is located on Sea coast. Sea coast and waterfront are one and same, which is excluded as per MOM therefore condition is not applicable and required to be deleted.

Conditions No.(vii) Complete compliance of CRZ regulations shall be ensured.

Justification: Noted.

Conditions No.(viii) All the conditions as recommended by the Chief Wildlife Warden shall be complied with the User Agency.

Justification: The FAC has recorded the recommendation of the Chief wildlife warden Gujarat sent vide No. WLP/663/32/B/1778-79/2014 dated 30.5.2014 however the matter has been reviewed by Forest dept. GOG wherein CCF Kutch has resurveyed both villages Siracha and Luni with respect to the status of presence of wildlife and exotic vegetation and submitted their inspection report on 26.09.2016 which clearly states that no wildlife activities exist in Siracha and Luni villages.

State Government has forwarded the proposal vide their letter FCA-1014-10-11/14/S.F-66/F dated 21.01.2016 to MOEF, New Delhi and recommended to deduct 100ha area from forest land of Siracha village as per earlier report. However User agency has made several submission for no existence of wildlife and exotic vegetation presently in those area and submitted technical justification for the crucial need of 100ha for their development proposal. User agency has requested GOG to resurvey the area for the same. In the meantime after the FAC meeting dtd 20th July MOEF, New Delhi also instructed to APCCF, Regional Office, Western region, Bhopal for site inspection to verify the recommendation of GOG. Site inspection was carried out by APCCF, RO along with APCCF land GOG and CCF Kutch on 26th Sep 2016. Report for the same was submitted to MOEF, New Delhi. In the meantime State Government has forwarded the proposal for diversion of entire 1576.81ha of forest land including 100ha to MOEF, New Delhi on 01.12.2017 after above actions.

Contd.. 5/-

Hence the condition related to recommendation of Chief Wildlife warden Gujarat sent vide No. WLP/663/32/B/1778-79/2014 dated 30.5.2014 are now not applicable as the status mentioned therein are no more in existence presently with respect to wildlife and exotic vegetation and therefore this condition requires to be deleted referring to the latest report dtd 26th Sep 2016 which is attached herewith for ready ref.

Conditions No.(ix) The Compensatory Afforestation land shall be surveyed at the cost of User Agency and erect pillars and barbed wire fencing or trench under the consultation of CCF, Kutch Circle.

Justification: Noted.

Conditions No.(x) Compensatory afforestation shall be raised over identified non forest land equivalent to the diverted forest land at least 1000 plants per hectare (1552.81 hectares x 1000 = 1552810 plants) shall be planted with provision for ten years on subsequent maintenance.

Justification: Noted.

Conditions No.(xi) 25% of revised CA cost will be deposited extra by the user agency for soil and moisture conservation (SMC) activities on the CA land.

Justification: Noted.

Conditions No.(xii) Complete compliance of Forest Right Act 2006 to be done for the 1576.81 ha of forest land by the State Government.

Justification: Noted.

Conditions No.(xiii) To provide protection to the existing wildlife a patch of natural forest in Luni to Harmiramora village shall be kept as green belt without carrying out any activities in that area as recommended by the CCF Kutch Circle vide letter dated 15.5.2014 to PCCF Wildlife Gujarat. The recommendation of the Chief wildlife warden Gujarat sent vide No. WLP/663/32/B/1778-79/2014 dated 30.5.2014 must be complied.

Contd..6/-

Justification: Same as point no viii.

Conditions No.(xiv) The state Government will inform about the status of the land admeasuring 122ha in village jarapara and 683ha of land belonging to GMB has been transferred to APSEZL. This are need to be deducted from the proposed forest land diversion as recommended by the State Government.

Justification: The land admeasuring 122ha in village (No Suggestions) and 683ha of land belonging to GMB are not transferred to APSEZL.

The FAC.s recommendation of deduction of 122ha will be applicable only if 122 ha land in village Jarpara is transferred by State Government to APSEZL as an additional area.

The 683ha of land will never be transferred to APSEZ . It will be given to APSEZ only on lease rental basis valid till concession period. **Therefore the said condition is required to be deleted.**

Conditions No.(xv) State govt will provide the terms and conditions on which the forest is proposed to be transferred on lease to the use agency. The details of lease period, terms conditions and consideration, if any, may be provided.

Justification: The land diversion to APSEZ is for SEZ purpose which does not have any period attached to it and therefore the forest land cannot have any time frame as well. It can have time frame only if the principal project has some time frame. **So this condition of lease period , terms , condition will not applicable for this diversion.**

Conditions No.(xvi) All other conditions imposed in the approval granted for diversion of 2008.41 ha (1840ha+168.41ha) forest land on 30.09.2009 shall be complied.


Justification: Noted.

Contd..7/-

We hereby kindly solicit your good office to consider our justifications keeping in view of the development of Ports based SEZ and expedite the process of approval and oblige.

Thanking you,
With kind regards

Yours faithfully,
For Adani Ports & SEZ Ltd.,



Saurin Shah
Jt. President (Corporate Affairs)

CC: Additional Chief Secretary, Forest and Env., GoG, 8th Floor, Block No.14,
Sachivalaya, Gandhinagar.



भारत सरकार
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS

क्षेत्रीय कार्यालय (दक्षिण बलय)

Regional Office (Southern Zone)
Kendriya Sadan, 4th Floor, E&F Wings, 17th Main Road,
2nd Block, Koramangala, Bangalore - 560 034.

No. :
तार : पर्यावरण, बंगलूर
Telegram : PARYAVARAN
BANGALORE

दूरभाष :

Telephone : 080-25635910
Tele Fax : 080-25537184

No.4-APC411/2007-BAN/8233
Dated the 30th November, 2010

To

The Special Secretary to the Government of Andhra Pradesh,
Environment, Forests, Science & Technology Department,
A.P. Secretariat,
Hyderabad- 500 022.

Subject: Diversion of 17.857 ha. of forest land in Amanam RF for expansion of
Special Economic Zone in favour of M/s Divi's Laboratories Limited,
Hyderabad.

Sir,


Kindly refer to State Government's letter No.7119/FOR.I(1)/2007-1 dated 24.09.2007 on the above subject seeking prior approval of the Central Government in accordance with Section '2' of the Forest (Conservation) Act, 1980 for diversion of forest land for the above project. The proposal was accorded in-principle (Stage-I) approval by the Central Government vide letter number dated 12th December, 2007. The State Government vide letters No.7119/FOR.I(1)/2007 dated 16.07.2010 and 06.11.2010 have reported compliance to the conditions stipulated in the in-principle approval.

After careful consideration of the proposal of the State Government, I am directed to convey Central Government's approval (**Stage-II**) for diversion of 17.857 ha of forest land in Amanam RF of Visakhapatnam Division/District for expansion of Special Economic Zone (SEZ) in favour of M/s Divi's Laboratories Limited, Hyderabad for a period of 20 years, subject to the following conditions:-

1. The legal status of the forest land shall remain unchanged.
2. The demarcation of the forest area proposed for diversion shall be carried out by erecting cement concrete pillars duly numbered at an interval of 20 meters at the cost of user agency.
3. The compensatory afforestation shall be raised over 17.857 ha. identified non-forest land in Sy.Nos.195/2, 194, 212, 213, 194, 212, 213, 195/1, 193, 192, 192, 193, 225 in J.P. Cheruvu village, Racherla Mandal, Prakasam District at the cost of user agency. The State Government shall obtain prior permission of Central Government for change of location and schedule of compensatory afforestation site, if any.

4. Non forest land for compensatory afforestation shall be notified by the State Government as P.F/R.F. and Nodal Officer (FCA) shall report the compliance within 6 months.
5. Additional amount of Net Present Value (NPV) for the diverted forest land if any, due as per the orders of the Hon'ble Supreme Court dated 28.03.2008 and 09.05.2008 in IA Nos.826 in 566 with related IA's in Writ Petition (Civil) No.202/1995 shall be realized from the user agency and transferred to Ad-hoc CAMPA in account number CA-1578 of Corporation Bank, Block-II, CGO Complex, Phase-I, Lodhi Road, New Delhi -110 003 under intimation to this office.
6. In the rest of the Forest Block, afforestation and protection measures shall be taken up by the Forest Department at the cost of user agency.
7. In the adjacent areas, agro-forestry activities shall be promoted by the Forest Department at the cost of user agency.
8. The total forest area utilized for the project shall not exceed 17.857 ha. In case the land is not taken over by the user agency or the same is not used for the stipulated purpose within a period of two years, then the area shall be taken back by the Forest Department.


Yours faithfully,


30.11.10
(N. ANAND)

Deputy Conservator of Forests (Central)

Copy to:-

1. The Director General of Forests & Special Secretary to Govt. of India, Ministry of Environment & Forests, Paryavaran Bhavan, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi - 110 003.
2. The Principal Chief Conservator of Forests, Forests Department, Govt. of Andhra Pradesh, Thulajaguda Complex, M.J. Market, Hyderabad.
3. The Additional Principal Chief Conservator of Forests/Nodal Officer (FCA), Office of the Principal Chief Conservator of Forests, Forests Department, Govt. of Andhra Pradesh, Thulajaguda Complex, M.J. Market, Hyderabad.
4. M/s.Divi's Laboratories Limited, Unit-2, Chippada village, Annavaram Post, Bheemunipatnam Mandal, Visakhapatnam District, PIN- 531 162.
5. Guard file.


30.11.10
(N. ANAND)

Deputy Conservator of Forests (Central)



F.No. 8-2/1999-FC (pt)
Government of India
Ministry of Environment & Forests
(FC Division)

Paryavaran Bhawan, CGO Complex,
Lodi Road, New Delhi-110510.
Dated 27.02.2009.

To
The Principal Secretary (Forests),
Government of Gujarat,
Gandhinagar.

*Recd.
Bodh*

Sub: **Diversion of 1840 ha and 168.41 ha of reserved forest land for development of port based Special Economic Zone (SEZ) in Mundra & Dhrub villages of Mundra taluka in Kutch East Forest Division in favour of M/s. Mundra Port & Special Economic Zone Limited (MPSEZL) in Kutch district of Gujarat.**

Sir,

I am directed to refer to the State Government's letter no. FCA - 1009 - (10 - 13) SF - 2 - k dated 22.01.2009 on the subject mentioned above seeking prior approval of the Central Government under Section-2 of the Forest (Conservation) Act, 1980, and to say that the proposal has been examined by the Forest Advisory Committee constituted by the Central Government under Section-3 of the said Act.

After careful examination of the proposal of the State Government, and on the basis of the recommendations of the Forest Advisory Committee, in-principle approval of the Central Government is hereby granted for diversion of 1840 ha and 168.41 ha (total 2008.41 ha) of forest land for development of port based Special Economic Zone (SEZ) in Mundra & Dhrub villages in Kutch East Forest Division in favour of M/s. Mundra Port & Special Economic Zone Limited (MPSEZL) in Kutch district of Gujarat subject to fulfillment of the following conditions -

1. (i) The Compensatory Afforestation (CA) over equivalent non-forest land i.e. over 2008.41 ha area in village Kaner & Shinapar shall be under taken at the cost of the User Agency.
 - (ii) The identified land for CA shall be acquired and mutated in favour of State Forest Department.
 - (iii) The area identified for Compensatory Afforestation shall be clearly depicted on SOI toposheet of 1:50,000 scale.
 - (iv) The User Agency shall transfer the cost (incorporating the current wage structure) of raising and maintaining Compensatory Afforestation to the State Forest Department.
 - (v) The non-forest land identified for raising Compensatory Afforestation shall be notified by the State Government as RF under Section-4 or PF under Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 or under the relevant Section(s) of the local Forest Act, as the case may be, within a period of six months. The Nodal Officer (Forest Conservation) shall report compliance in this regard.
2. The State Government shall charge the Net Present Value of the forest area diverted

under this proposal from the User Agency as per the Judgement of the Hon'ble Supreme Court of India dated 28.03.2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995.

3. The User Agency shall furnish an undertaking to pay the additional NPV, if so determined, as per the final decision of Hon'ble Supreme Court of India.
4. All the funds received from the User Agency under the project shall be transferred to Ad-hoc CAMPA in account number CA 1583 of Corporation Bank, Block-11, CGO Complex, Phase-1, Lodhi Road, New Delhi - 110 003.
5. The User Agency will take all necessary precautions in consultation with the State Forest Department regarding the release of effluents in the soil and the sea. The creeks with mangrove should not be affected by the SEZ and there should not be any drainage into the creeks.
6. The Navinadh forests (upland) should be fenced with rubble wall cum wire mess so that there should not be any biotic interference in this biodiversity hotspot.
7. The railway line of SEZ is being laid on the outer fringe of forests area, two railway crossings at Zapara & Navinadh should be constructed for movement of forests staff and vehicles to mangrove forests.
8. The Compensatory land has been already diverted in Kori-creek but as per the commitment of the company, the wasteland at Abdasa (GEDA plantations) of an area 3770.00 should be transferred to forest department as an habitat of Great India Bustards (GIBs) and other two Bustards i.e. Lesser Florican & Houbara Bustard before recommending to Government of India for diversion of change of use.
9. This area being the outer part of sea, two green belts to be developed as protection measures from the cyclone at the cost of the user agency.
 - (i) A minimum of 200 m wide green belt of mangroves along the sea creeks outside the proposed area for diversion toward Sea.
 - (ii) A minimum of 100 m wide green belt on the outer boundary toward sea in the proposed area for diversion (SEZ area).
10. The area shall be demarcated on ground by erecting 4 feet high RCC Pillars with forward and back bearing and distance from pillar to pillar.
11. Ex-situ conservation of endemic species of flora/fauna lost/disturbed in the process of execution of the project may be ensured by adequate protection measures at the cost of the project.
12. No damage to the flora and fauna of the area shall be caused.
13. Transfer of forest land to user agency should not be affected by the State Government till the final orders are issued by the Central Government.
14. The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal.
15. Environment clearance under Environment (Protection) Act, 1986 and other

necessary clearances including CRZ clearances shall be obtained by the User Agency prior to Stage-II approval.

- 16. Any other condition that the CCF (Central), Regional Office, Bhopal may impose from time to time for the protection and improvement of flora and fauna in the forest area.

After receipt of the compliance report on fulfillment of the conditions mentioned above, the proposal shall be considered for final approval under Section-2 of the Forest (Conservation) Act, 1980.

Yours faithfully,

(C.D. Singh)

Assistant Inspector General of Forests

Copy to:

Recd. Bhopal

- 1. The Principal Chief Conservator of Forests, Government of Gujarat, Gandhinagar.
- 2. The Nodal Officer (FCA), Forest Department, Government of Gujarat, Gandhinagar.
- 3. The Chief Conservator of Forests (Central), Regional Office, Bhopal.
- 4. The User Agency.
- 5. Monitoring Cell, FC Division, MoEF, New Delhi.
- 6. Guard File.

(C.D. Singh)

Assistant Inspector General of Forests

Issued
21/3/29